खण्ड–492, अंक–6
मंगलवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(03 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 492 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रदेश में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट होने विषयक नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग...	7–9
प्रश्नोत्तर	9–35
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	35–36
निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग कनैली–भखन्दा का अपूर्ण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	36
विधान सभा क्षेत्र नोएडा में ग्रामीणों द्वारा सीधे जमीन की बिक्री पर बनी कच्ची कालोनियों का विकास नोएडा अथारिटी द्वारा न किये जाने एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कतिपय महत्वपूर्ण मार्गों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	37–38
चिकित्सा विभाग के रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों का वेतन पशुपालन विभाग के रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों के समतुल्य किये जाने तथा वेतन विसंगति दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	38
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के कतिपय मार्गों का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	38–39
मेरठ महानगर में हो रही विद्युत हानि को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु में न्यू बोल्डर पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	39–40
जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र औराई के महाराजगंज बाजार में पानी की निकासी हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद मुरादाबाद की तहसील चन्दौसी में समाजवादी पेंशन योजना में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में	40

विषय		पृष्ठ–संख्या
नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	...	...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद रायबरेली की तहसील लालगंज के ग्राम समोधा चक मार्ग की पैमाइश पुनः कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के ग्राम नगला के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
जनपद मथुरा के अन्तर्गत मथुरा–भरतपुर रोड पर ग्राम सभा अडुकी, धनगांव एवं मुडेसी के मध्य एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	41–42
सहारनपुर मण्डल मुख्यालय में नया विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	42
विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर के अन्तर्गत ब्लाक ददरौल के ग्राम राई खुर्द, ग्राम धूरखेड़ा आदि कतिपय ग्रामों का मार्ग नाली सहित मनरेगा से बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	42–43
जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के अन्तर्गत आने वाले बड़े गांव झांझर को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	43
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	43
असरकारी संकल्प व असरकारी विधेयक के दिन विधान सभा की बैठक अवकाश के कारण न होने पर अलग से दो दिवस उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	43–44
जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित थुरंडा चौराहे से पचपेड़ा ग्राम पंचायत उमिला से होते हुए कांटे चौराहे तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री जुबेर अहमद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	44
जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित पैड़ी हनुमानगंज मार्ग पर स्थित गंगौली से पुरैना मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शकील अहमद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	44
जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास	45

खण्ड सेमरियावां में स्थित ग्राम पंचायत अगया से ग्राम पंचायत छाता, सुजिया, बसडीला होते हुए देवरियालाल तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक डा0 कलीमुल्लाह आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित पैड़ी हनुमानगंज मार्ग पर रुदौली चौराहे से होते हुए ग्राम पंचायत एक्साकला तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वैस मोहम्मद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	45
जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 चौराहा से केकरहवां होते हुए ग्राम पंचायत करमा खान मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री इफ्तेखार अहमद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	45
जनपद प्रतापगढ़ में बन्द पड़ी ए0टी0एल0 फैक्ट्री की जमीन पर नये औद्योगिक केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री विनोद पटेल आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	45
जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा सरायनाहरराय में उप मण्डी स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगन्नाथ वर्मा आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	45
जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली के ग्राम विजरडूहा के प्राथमिक विद्यालय से दयाशंकर उपाध्याय के घर तक दूरी लगभग 250 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दयाशंकर उपाध्याय आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	46
जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली के ग्राम गिधार में सुमित्रानन्दन श्रीवास्तव के घर से श्री राम प्रकाश के घर तक दूरी लगभग 250 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री उमेश पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	46
जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली के ग्राम परसा तिवारी में मुख्य सड़क से दूरी लगभग 1200 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गौरव मणि त्रिपाठी आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	46

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रम्हपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा खरखुटा से छितहरी भरकटा तक कच्ची सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री रवि प्रताप आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 47

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट भाषण प्रति में त्रुटि को इंगित किया जाना ...	47
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	47–62
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	62–64
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में जहरीले पानी से बढ़ रही हिपेटाइटिस सी से हो रही मृत्यु व अन्य बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	64
जनपद बहराइच, विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत घाघरा नदी पर बने पुल पर लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से वसूले जा रहे टोल–टैक्स के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	64–67
जनपद शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद के ग्राम करनापुर के श्रवण कुमार पुत्र कल्लू की दिनांक 12 फरवरी, 2015 को हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	67–70
उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन के संविदा कर्मियों जो संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा शक्ति भवन, लखनऊ के समक्ष किये गये धरना–प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए रिहा किये जाने तथा उनकी मांगों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	71–74
जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय कालोनियों में पक्के नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	74
विधान सभा क्षेत्र आगरा के अन्तर्गत प्राइवेट कम्पनी टोरेन्ट पावर द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री गुटियारी लाल दुबेश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	74–75

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा के ग्राम भड़ेवरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन व उनकी आदमकद प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 75–76

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में विद्युत विभाग द्वारा ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	76–77
जनपद इलाहाबाद में धर्मवीर मार्ग सुलेम सराय में अवैध निर्माण हटाये जाने एवं मार्ग चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री सत्यवीर 'मुन्ना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	77–78
जनपद लखीमपुर खीरी के नगर क्षेत्र लखीमपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य...	78–79

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 03 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–286

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
6. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
7. अताउररहमान, श्री बरेली
8. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
14. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
20. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
21. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
22. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
23. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
24. अरूण कुमार, डा0 बरेली
25. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
26. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
27. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
29. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
30. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
31. आलमबदी, श्री आजमगढ़
32. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
33. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
34. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
35. आशीष यादव, श्री बदायूं
36. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
37. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
38. इकबाल, श्री बिजनौर
39. इकबाल महमूद, श्री संभल
40. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
41. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
42. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
43. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
44. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
45. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
46. उदयराज, श्री उन्नाव
47. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
48. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
49. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
50. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
51. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
52. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
53. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर

54. काली चरन सुमन, श्री आगरा
55. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
56. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
57. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
58. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
59. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
60. कैलाश, श्री गाजीपुर
61. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
62. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
63. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
64. गजराज सिंह, श्री हापुड़
65. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
66. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
67. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
68. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
69. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
70. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
71. गोरख पासवान, श्री बलिया
72. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
73. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
74. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
75. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
76. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
77. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
78. जगपाल, श्री सहारनपुर
79. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
80. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
81. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
82. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
83. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
84. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
85. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
86. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
87. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
88. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
89. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
90. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
91. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
92. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
93. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
94. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
95. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
96. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
97. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
98. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
99. धर्मराज, श्री बाराबंकी
100. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
101. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
102. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
103. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
104. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
105. नारद राय, श्री बलिया
106. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
107. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
108. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
109. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
110. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
111. पीतमराम, श्री पीलीभीत
112. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
113. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
114. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
115. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
116. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
117. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
118. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
119. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया

120. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
121. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
122. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
123. 'बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
124. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
125. बदलू खां, श्री उन्नाव
126. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
127. बाबूलाल, श्री गोण्डा
128. बावन सिंह, श्री गोण्डा
129. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
130. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
131. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
132. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
133. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
134. बैजनाथ, श्री मऊ
135. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
136. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
137. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
138. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
139. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
140. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
141. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
142. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
143. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
144. मनबोध, श्री देवरिया
145. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
146. मनीष रावत, श्री सीतापुर
147. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
148. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
149. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
150. महबूब अली, श्री अमरोहा
151. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
152. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
153. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
154. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
155. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
156. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
157. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
158. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
159. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
160. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
161. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
162. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
163. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
164. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
165. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
166. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
167. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
168. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
169. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
170. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
171. यासर शाह, श्री बहराइच
172. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
173. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
174. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
175. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
176. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
177. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
178. रणजीत सुमन, श्री एटा
179. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
180. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
181. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
182. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
183. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
184. 'राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
185. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी

186. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
187. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
188. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
189. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
190. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
191. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
192. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
193. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
194. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
195. राधे श्याम, श्री अमेठी
196. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
197. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
198. राम करन आर्य, श्री बस्ती
199. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
200. राम गोविन्द, श्री बलिया
201. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
202. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
203. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
204. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
205. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
206. राम मगन, श्री बाराबंकी
207. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
208. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
209. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
210. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
211. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
212. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
213. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
214. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
215. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
216. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
217. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
218. लक्ष्मीकान्त उर्फ
पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
219. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
220. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
221. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
222. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
223. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
224. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
225. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
226. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
227. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
228. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
229. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
230. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
231. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
232. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
233. विनोद कुमार उर्फ
पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
234. 'विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
235. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
236. वीरपाल राठी, श्री बागपत
237. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
238. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
239. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
240. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
241. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
242. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
243. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
244. शाकिर अली, श्री देवरिया
245. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
246. शाह आलम उर्फ
गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
247. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
248. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
249. 'शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
250. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
251. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर

252. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
253. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
254. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
255. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
256. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
257. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
258. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
259. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
260. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
261. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
262. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
263. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
264. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
265. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
266. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
267. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
268. सीमा, श्रीमती जौनपुर
269. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
270. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
271. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
272. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
273. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
274. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
275. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
276. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
277. सुरेश राणा, श्री शामली
278. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
279. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
280. सुल्तान बेग, श्री बरेली
281. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
282. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
283. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
284. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
285. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
286. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00 बजे, प्रदेश में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट होने विषयक नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री प्रदीप माथुर, श्री दलवीर सिंह एवं उनके दल के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की फसले नष्ट हो गयी हैं।

श्री दलबीर सिंह–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की फसल चौपट हो गयी है पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से गेहूं, आलू, सरसों और अन्य दलहन की सारी की सारी फसलें बुरी तरह से चौपट हो गयी हैं, किसान हाहाकर कर रहा है, पूरे प्रदेश का किसान आज त्राहि–त्राहि कर रहा है इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

(राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने तथा सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में किसान कराह रहा है किसान की पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गयी है इसलिए मान्यवर, नियम–311 के अन्तर्गत मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आप चलिये।

माथुर साहब, शीट पर चलिये, मौर्य जी सीट पर खड़े होकर अपनी बात कह रहे हैं आप यहां चले आये।

अनुग्रह जी आप भी सीट पर चलिये।

(श्री अध्यक्ष के आग्रह पर सदन के वेल में आये हुए माननीय सदस्य अपने–अपने आसन पर वापस चले गये)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने इसे उठाया है और दूसरे विपक्षी सदस्य वेल में आये हैं यह कांग्रेस है, लोकदल है। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत गम्भीर मामला है और कुदरत की तरफ से है इसमें किसी राजनैतिक दल का

हाथ तो है नहीं, अगर है भी तो जैसा राजा वैसी प्रजा। तो मान्यवर, गम्भीर है लेकिन क्योंकि प्रश्नों का समय है उसके बाद अगर आप विचार करना चाहें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, देख लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जैसे राजा वैसी प्रजा की बात कह करके इस गम्भीर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण हम चाहते हैं आज पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी किसानों की परेशानी से वाकिफ है और सीधे किसानों ने इस बात को उनसे जाकर कहा भी है कि जिस तरीके से इस ओलावृष्टि अतिवृष्टि के चलते फसल चौपट हो गयी है, गेहूं बरबाद हो गया है सरसों तबाह हो चुकी है और आलू की फसल भी बरबाद हो चुकी है और दलहन की सारी की सारी फसले नष्ट हो गयी है इसलिए मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं और सदन की सारी कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल रखा है उससे असल में न तो इन्हें किसान से हमदर्दी है, न ही उसकी परेशानी से कोई वास्ता है, सबमें होड़ यह है कि पहली खबर किसकी बने।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

बात तो सुन लीजिये। यह इतना गुस्से से बोल रहे हैं। अब देखिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर किसानों के सवाल पर बहुत गैरजिम्मेदाराना है, इसलिए मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन करता हूं।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य नारे लगाते हुए अपने दल सहित सदन से बर्हिगमन कर गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, अब देखिये, इन्हें किसानों से हमदर्दी थोड़े हैं, इन्हें केवल अखबार में अपना नाम छपवाना है। वेल में लोकदल आया, वेल में कांग्रेस आई, खबर उनकी पहली बनती, लेकिन अब वाकआउट कर दिया बसपा ने, अब परेशानी यह है कि खबर किसकी पहली बनेगी। मान्यवर, सिर्फ खबर बनाने की कोशिश है किसानों के बारे में हमदर्दी किसी को नहीं है।

(श्री प्रदीप माथुर, श्री बंशी सिंह पहाड़िया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप कह रहे हैं कि आपको हमदर्दी है, तो डांट काहे रहे हैं। अपनी बात को आप ढंग से कहिये।

श्री अध्यक्ष–

श्री माथुर जी, अब आप बैठ जायें। आपकी बात आ गई है। अब प्रश्न ले लेने दीजिये।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह सरकार किसानों के प्रति जरा भी चिंतित नहीं है, इसलिए मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से वाकआउट करता हूं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री प्रदीप माथुर अपने दल सहित सदन से बर्हिगमन कर गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, लीजिये अब कांग्रेस के लोग भी गये। इसमें सरकार की क्या गलती है। मान्यवर, यह सरकार के खिलाफ वाकआउट कर रहे हैं, या ऊपर वाली सरकार के खिलाफ कर रहे हैं ? समझ में नहीं आता है कि यह किससे नाराज हैं नीचे की सरकार से या ऊपर की सरकार से। मान्यवर, यह आसमान वाले के खिलाफ वाकआऊट कर रहे हैं, यह उससे डरते नहीं हैं।

(श्री दलवीर सिंह एवं श्री सुरेश कुमार खन्ना के अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जाये। श्री दलवीर सिंह जी, आप बैठ जाये, आप वेल में आ चुके हैं, सदन के संज्ञान में आपकी बात आ गई। माननीय खन्ना जी, आप भी बैठ जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो परिस्थिति प्रदेश में बनी है। शनिवार की शाम से लेकर कल रात तक अथाह बारिश हुई है पूरे प्रदेश में, चाहे मध्यान्चल हो, चाहे पूर्वान्चल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे बुन्देलखण्ड हो, उत्तर प्रदेश की सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और किसान बरबाद हो गया है। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है और मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही निलंबित करके इस पर चर्चा कराई जाये और सरकार स्वयं इसके ऊपर वक्तव्य जारी करें।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, आपकी बात आ गई है, कृपया अब आप बैठ जाईये। अब प्रश्न ले लेने दीजिये।

ख11.07 बजे, प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में संचालित पशु वधशालाओं में दुधारू पशुओं के अवैध कटान को रोकने हेतु प्रभावी कार्य योजना की जानकारी

'01–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित पशु वधशालाओं में मानक से अधिक पशुओं में बड़ी संख्या में दुधारू पशुओं के भी शामिल होने के कारण दूध उत्पादों की भारी कमी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशु वधशालाओं में दुधारू पशुओं के अवैध कटान को रोके जाने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

जी नहीं।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। पशु वधशालाओं में अवैध पशु वध को रोके जाने हेतु नगर विकास अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या–2303/9–8–2012–5/रिट/2012, दिनांक 22–8–2012 द्वारा पशुवधशालाओं में पशुवध से पूर्व एण्टीमार्टम तथा पशुवध के पश्चात् पोस्टमार्टम किये जाने पशुवधशालाओं का नियमित निरीक्षण किये जाने आदि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कड़े निर्देश जारी किये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अन्दर और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर यह जो पशु वधशालायें खुली हैं, इनके कारण पशु की चोरी बड़ी मात्रा में बढ़ी है। ऐसी कई घटनायें आई हैं कि पशु की गर्दन काटकर, चारों पैरों को काटकर और एक जो छोटा मैजिक होता है, उसमें भरकर चोर ले जाते हैं और उसको इन पशु–वधशालाओं में वह तुलवा देते हैं और उसके बाद उसके पीस करके वह सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में संचालित जितनी पशुवधशालायें हैं, उनमें चोरी के पशुओं के मामले में अभी तक कितनी एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी हैं। इसके अलावा जो यह एन्टी पोस्टमार्टम है और पोस्टमार्टम है, वह किन–किन अधिकारियों के द्वारा वहां किया जाता है। तीसरी बात, कि क्या प्रत्येक पशु की जांच का विवरण तिथिवार आप सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री राजकिशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, लोकेन्द्र सिंह जी ने जो अभी सवाल किया है, हो सकता है, इनको पूरी जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इन्होंने पूछा है कि पशुओं का पोस्टमार्टम होता है कि नहीं होता है और इसे कौन से डाक्टर करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिये पशुधन विभाग का एक डाक्टर होता है जो वहां निरीक्षण

करता है और वहॉ कैब में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे रहते हैं ताकि कोई भी सूचना गलत न हो और आज की तारीख में जितनी पशु वधशालायें हैं, उनके लिये मानक है कि इतने पशु वह काटेंगे लेकिन उससे कम ही कटान हो पा रही है, उतने पशु वह पा भी नहीं रहे हैं और इन्होंने जो चोरी के एफ0आई0आर0 के मामलों की बात पूछी है, मैंने उस दिन भी माननीय सदन को बताया था, उसके लिये कहिये तो आपको दे दें या पढ़कर सुना दें, जो यह चाहे वह कर दें। इसके अलावा जो यह पशु वध चोरी की बात इन्होंने कही है उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि हम लोग कामधेनु डेरी योजना लाये थे और उसमें यह है कि जो भी पशु आयेंगे वह पशु बाहर से आयेंगे। हमने बाहर से पशु मंगाने की व्यवस्था की जिससे हमारी पशुओं की संख्या बढ़े और हमारे यहां दूध का उत्पादन बढ़े और चाहे हरियाणा का बार्डर हो, चाहे पंजाब का बार्डर हो इसके अलावा जो भी अगल–बगल के बार्डर हों, वहां कभी विश्व हिन्दू परिषद्, कभी बजरंग दल के लोगों द्वारा हमारे पशुपालकों के साथ अन्याय किया जाता है और उनके पशु छीने जाते हैं, गाड़ियों से जो पशु आते हैं, उनको इनके लोग जबरन छीनते हैं। हमारे एक मंत्री हैं चौहान साहब, उनकी एक लड़की का वहां डेरी फार्म है, कामधेनु योजना के तहत उसको डेरी स्वीकृत हुयी है, उनके भी पशु छीने गये और उनकी भी गाड़ी फूंक दी गयी थी, ऐसा उन्होंने एक दिन बताया तो सबसे पहले आप अपने संगठन विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल को हिदायत दीजिये कि वह ऐसा न करें। जो चोरी के मामले हैं उस पर हम गिरफ्तारी कराते हैं, एफ0आई0आर0 कराते हैं, इसके लिये कड़े कानून बना दिये, गैंगस्टर, गुन्डा ऐक्ट और हिस्ट्रीशीट खोलने तक की कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन कम से कम उन्हें यह जानकारी हो जाये कि यह चोरी के पशुओं की गाड़ी है या यह कोई व्यक्तिगत खरीद कर ले जा रहा है, क्योंकि जो गाय 20–25 लीटर दूध देगी, वह कभी कटान के लिये नहीं जा सकती और जहां तक कटान का सवाल है, आपने कहा कि गायों और बैलों का कटान हो रहा है तो आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी स्लाटर हाउस में कहीं भी गायों व बैलों का कटान नहीं होने पा रहा है और आज तक के इतिहास में अगर सबसे कड़ा कानून किसी ने बनाया तो हमारी सरकार ने बनाया है। नगर विकास विभाग का अलग शासनादेश है, पशुधन विभाग का अलग शासनादेश है और चीफ सेक्रेट्री महोदय के माध्यम से अलग आदेश सख्त कार्रवाई के लिये जारी हुये हैं। इसलिये आपकी जो चिन्ता है कि दूध का उत्पादन घटा है तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश का दूध उत्पादन बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के अंदर पशुओं की संख्या बढ़ी है, आप चिन्ता न करें, जहां इस तरह की हरकत होगी, उसके लिये कार्रवाई की जायेगी और यदि आपको कहीं की कोई पर्टीकुलर सूचना हो तो बताइये, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मानक है कि अगर पशु गाड़ी में लाये जायेंगे तो 6 पशु से अधिक नहीं होने चाहिये। लेकिन जो पशु माफिया है वह एक गाड़ी में 100–100, 80–80 और 60–60 पशु लेकर आते हैं, इसमें मुझे जितने जानकारी है उसके अनुसार

अगर पशु किसी वाहन में आ रहे हैं तो एक पशु का दूसरे पशु से शरीर नहीं भिड़ना चाहिये। हमारे बिजनौर जिले के अन्दर 16 तारीख को, जो मेसर्स उमर इंटरनेशनल मीट प्लांट है, उसको एक माह चलाने के लिये कंडीशनल एन0ओ0सी0 दी गयी लेकिन निरन्तर वहॉ विभाग की और जिला प्रशासन की सेटिंग से चलते चले जा रहे हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक इस तरह का माहौल बना रहता है कि कब विवाद हो जाए। मेरा आशय कहने का यह है कि जो पशु चोरी हुई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर तो होता क्या है कि यदि किसी एक धर्म का पशु खुलता है और दूसरे धर्म का यदि चोर पकड़ा जाता है तो वहां मार–पिटाई होती है, आये दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और बड़ा तनाव बना रहता है तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश जारी हों कि पशु चोरी के मामले को गम्भीरता से लिया जाए क्योंकि लोगों की एफ0आई0आर0 भी दर्ज नहीं होती है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो पशु चोरी हो रही है क्या इसको गम्भीरता से लेते हुए क्या कोई कार्रवाई वहां जिला स्तर पर विभाग के द्वारा कराई जाएगी क्योंकि अभी 80 पशु पकड़े गये लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मान्यवर, लैटौर थाने के अन्दर सुपुर्दगी में 10 पशु मरे हुए पाये गये और समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष की सुपुर्दगी में वह पशु सौंप दिये गये और उन्होंने उन्हें स्लाटर हाउस को भेज दिया।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल कर रहे हैं कि घटना का विवरण दे रहे हैं। अब आप बैठ जाइये क्योंकि कोई सवाल आपका बना नहीं।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि समस्या वास्तव में बहुत गम्भीर है। यह कोई धार्मिक समस्या नहीं है क्योंकि ऐसा कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति नहीं है जिसको दूध की आवश्यकता नहीं है दूध बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए पौराणिक जमाने से लेकर आज तक। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने स्लाटर हाउस स्थापित हैं उनका प्रतिदिन पशुओं को काटने का मानक क्या है वह संख्या मैं जानना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त इनकी पशुओं की प्राप्ति का साधन क्या है, प्रदेश के अन्दर के कितने पशु कटते हैं तथा बाहर के पशुओं के कटने की व्यवस्था क्या है। दूसरा, जो कटान को लेकर तनाव बनता है, छोटी सी घटना बहुत बड़ा रूप ले लेती है तो बहुत सारे दंगों के पीछे केवल गौ–कटान रहता है। लोग विरोध करते हैं और दूसरे लोग सड़क पर आते हैं और बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अवैध गौ–कटान पर जो लोग पकड़े जाते हैं उनके ऊपर सरकार रासुका की कार्रवाई करेगी।

(सदस्य श्री बंशी सिंह पहाड़िया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप पहले उत्तर आ जाने दीजिए, आप फिर दूसरा अलग से पूछ लीजिएगा।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मा0 राणा साहब के सवाल का जवाब देने से पहले ही मैंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर गृह विभाग से एक शासनादेश जारी हुआ है कि अगर इस तरह की हरकत में कोई भी आदमी लिप्त पाया जायेगा तो उसके खिलाफ गैंगेस्टर, गुण्डा ऐक्ट के तहत कार्रवाई होगी और उसकी हिस्ट्रीशीट खोली जायेगी और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। अभी लोकेन्द्र सिंह जी बता रहे थे कि सौ–सौ पशु एक गाड़ी में ले जाये जाते हैं अब आप ही बता दीजिए कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसमें सौ पशु आ सकते हैं जहां तक मेरी जानकारी है तो एक गाड़ी में लगभग 15 से 20 पशु ही आ सकते हैं। मा0 राणा साहब ने जो कहा तो उसके लिए कानून हैं और कार्रवाई होती है मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2012 में 3655 अपराध पंजीकृत हुए हैं और उसमें 8217 अभियुक्त हुए हैं और 42 हजार 528 पशु बचाये गये थे एक साल में। इसी तरह से वर्ष 2013 एवं 14 में 4400 अपराध पंजीकृत हुए और 8206 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैंने स्लाटर हाउस की संख्या पूछी थी।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, स्लाटर हाउस नगर निगम से भी चलते हैं और तमाम डिपार्टमेंट से चलते हैं इसलिए यदि आप चाहेंगे तो इसकी सूचना हम आपको बाद में दे देंगे। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कितने स्लाटर हाउस लाइसेंसी हैं तो उनकी संख्या 36 है और उनकी सूची हमारे पास है अलीगढ़ में 6 हैं, उन्नाव में 5 हैं सहारनपुर में 3 हैं इस प्रकार से कुल 36 हैं यदि आप कहें तो मैं अभी पढ़ कर सुना दूं।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैंने एक दूसरा प्रश्न किया था कि क्या सरकार रासुका की कार्रवाई करेगी।

श्री राज किशोर सिंह–

मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि एन0एस0ए0 का मतलब क्या होता है। एन0एस0ए0 की कार्यवाई का मतलब क्या होता है।

श्री सुरेश राणा–

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून चूंकि राष्ट्र की अस्मिता को खतरा है और दंगे का कारण बनता है।

श्री अध्यक्ष–

राणा जी पहले आप उत्तर सुनिये।

श्री राज किशोर सिंह–

यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात कर रहे हैं, एन0एस0ए0 कानून की बात तो मैं कह ही रहा हूं कि गुण्डा ऐक्ट, गैंगेस्टर ऐक्ट। अध्यक्ष जी इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि किसी सरकार ने आज तक, आप दूध के लिए इतने चिंतित हैं, आप बताते हैं कि मैं एक धार्मिक पार्टी से बिलांग करता हूं, सबसे जरूरी तो दूध आपके लिए है और एक लाख लीटर से ऊपर दूध हम एक्ट्रा पैदा कर रहे हैं कामधेनु योजना के माध्यम से। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 2017 तक हम दूध की पैदावार में बढ़ोत्तरी करेंगे, तो 2017 तक हम 20 लाख लीटर दूध पैदा करने की कार्यवाई शुरू कर चुके हैं इसलिए आप लोगों को समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए जिसका विराट कलेजा होता है जो अन्दर से हिम्मत रखता है वही आदमी इस तरीके का निर्णय लेता है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री प्रदीप चौधरी व श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी के प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहाड़िया जी बैठिये, प्रदीप चौधरी जी काफी देर से खड़े हो रहे थे, उनको पूछ लेने दीजिए।

श्री प्रदीप चौधरी–

अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे सहारनपुर में भी गौ–कशी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। हमारे गंगोह में जो स्लाटर हाउस बना हुआ है वह प्रतिबंधित है, नगर पालिका का भी और नगर पंचायत का भी। लेकिन परसों वहां बहुत बड़े पैमाने पर ऊंट कटान के लिए लाये गये। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं क्या सरकार ने ऊंट काटने वालों को इतने बड़े स्तर पर छूट दे दी है क्या उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जायेगी ?

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, पहले ही बता दिया गया है कि जो भी मानक में हैं केवल वही पशु कट सकते हैं। आपने ऊंट की बात बतायी, ऊंट की बात हमारे संज्ञान में नहीं थी लेकिन आपने सहारनपुर का जिक्र किया है तो हम देखेंगे और जो कार्रवाई करने लायक होगी वह करेंगे।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया व श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर बीस मिनट हो गये, अब आप लोग बैठिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि व्यवहारिक और..

श्री अध्यक्ष–

पहाड़िया जी, सवाल पूछो, सुझाव मत दो।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछो, आप घटना बता रहे हैं, यह नहीं लिखा जायेगा। प्रश्न पूछना आता नहीं है और घटना बता रहे हैं। अब बैठिये।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या से निजात दिलाने हेतु इण्डिया मार्क–ए हैण्डपम्पों को स्थापित किये जाने विषयक

'02–श्री सुरेश राणा

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा लगाये जा रहे इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के मानक क्या हैं ? क्या सरकार पेयजल के गम्भीर संकट को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में 200–200 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')–

दूषित पेयजल आपूर्ति की सम्भावना के दृष्टिगत इण्डिया मार्क–ए हैण्डपम्पों में बोरिंग की गहराई भू–जल के द्वितीय स्ट्रेटा तक करायी जाती है ताकि हैण्डपम्प से प्रदूषण मुक्त जल की आपूर्ति हो सके।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समस्या के निवारण हेतु 150 की जनसंख्या पर 01 हैण्डपम्प तथा हैण्डपम्पों के मध्य न्यूनतम 75 मीटर की दूरी होने का मानक निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में इण्डिया मार्क–ए हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित मानक 150 की जनसंख्या पर 01 हैण्डपम्प के सापेक्ष वर्तमान में प्रति हैण्डपम्प लाभान्वित हो रही औसत आबादी 66 है। इस प्रकार प्रदेश की ग्रामीण आबादी निर्धारित मानकानुसार हैण्डपम्प से संतृप्त है।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस अति महत्वपूर्ण सवाल पर मुझे आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, यह सवाल ऐसा है कि सदन का सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो, सारे विधायक पिछले तीन वर्षों से इस प्रश्न को लेकर बहुत गंभीर हैं और गंभीर इसलिए है कि आपसे भी जब कभी चर्चा होती है तो आप भी उस विषय को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सभी विधायकों का दलीय आधार से ऊपर उठ करके लगातार जो मैं सच्चाई की बात करूं तो गांवों में प्रवास के दौरान यह बात सामने आयी है कि यह प्रदेश कैंसर प्रदेश का रूप ले चुका है। कोई गांव ऐसा नहीं है, गांव में जहां एक मरीज को देखने जाओ तो खबर मिलती है, कि वो

नौट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

भी बीमार है, वो भी बीमार है और वो भी बीमार है, बीमारी क्या कैंसर, ज्वाइंडिस और तमाम प्रकार की बीमारियों ने पूरे ग्रामीण क्षेत्र को अपने गिरफ्त में ले लिया है और कारण बीमारी का है वह जल जनित बीमारियां हैं और उसका कारण केवल प्रदूषित जल है। प्रदूषित जल का जब विषय आता है तो आदमी की नजरें पड़ती हैं कि मुझे किसी प्रकार से नल मिल जाए वह भी अगर इण्डिया मार्क–टू हैण्डपम्प मिल जाएगा तो स्वच्छ पानी मिल जाएगा। माननीय मंत्री जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि मानक के अनुसार पूरी तरह से नल लगा दिए गए हैं लेकिन मैं पर्याप्त जानकारी के आधार पर कह रहा हूं मेरा लगातार गांवों में घूमना होता है चूंकि मेरी विधान सभा शामली है।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे प्रश्न पूछे।

श्री सुरेश राणा–

मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां 75 मीटर की बात कही जा रही है लेकिन 100–100 मीटर तक कोई सरकारी हैण्ड पम्प नहीं हैं। ऐसी बस्तियां हैं जहां नल की बहुत आवश्यकता है लेकिन नल नहीं है तो क्या सरकार ने जैसा कहा कि यह किसान वर्ष है आज भी गांवों में सर्वे आप करा लें 30–40 प्रतिशत नल खराब मिलेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जहां 75 मीटर से ज्यादा जगह बची हुई है नल नहीं है वहां नया नल लगवाएंगे और जो नल खराब हैं उन नलों को ठीक कराने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी कराएंगे।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

अध्यध जी इनका प्रश्न था कि जो नल खराब हैं हमने मई, 27, 2014 में जी0ओ0किया जिसमें 50 हर ब्लाक में रि–बोर कराने के लिए कहा। दुबारा प्रति ब्लाक 50–50 हैण्ड पम्पों को रि–बोर कराने के आदेश दिए जो रि–बोर हो रहे हैं। पहला प्रश्न इनका था कि यह कहीं कहीं नहीं लगे हुए हैं जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 25 लाख 63 हजार हैण्ड पम्प लगे हुए हैं लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी शिकायत है क्योंकि गम्भीर विषय है सरकार की जिम्मेदारी भी है और सरकार उस जिम्मेदारी को पूरा भी कर रही है गांव के हर व्यक्ति को शुद्ध जल देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो दिखवा लेंगे आपसे बात कर लेंगे।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा अभी कहा है कि मानक के अनुरूप पूरे प्रदेश में हैण्ड पम्प लग चुके हैं नए हैण्ड पम्प अब अधिष्ठापित नहीं किए जाएंगे। नम्बर एक तो माननीय मंत्री जी ने यह बता ही दिया है नम्बर दो उन्होंने कहा है कि 50 हर ब्लाक के हिसाब से और उसके बाद 50 हैण्ड पम्प हर ब्लाक के रि–बोर कराने की उन्होंने व्यवस्था किया है। मेरे यहां पर दो प्रश्न हैं यह रि–बोर होने वाले जो हैण्ड पम्प हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या जनप्रतिनिधियों जिसमें हमारे एम0पी0 हों एम0एल0ए0 हों उनके द्वारा प्रेषित सूची को भी सम्मिलित किया जाएगा जो मानक के अनुसार पाए जाते हैं ? माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि प्रदेश

में हम नए हैण्ड पम्प अधिष्ठापित नहीं कर रहे हैं मेरे जनपद में हजारों हैण्ड पम्प नए अधिष्ठापित होने के लिए गए हैं जो आज तक लग नहीं पाए हैं पैसा पड़ा है अगर वह हैण्डपम्प अधिष्ठापित होते हैं तो उनका बराबर–बराबर जनप्रतिनिधियों में बांटकर सूची मंगाकर उनको अधिष्ठापित कराएंगे मेरे यह दो प्रश्न हैं।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने कहा कि इनके जनपद में पड़े हैं तो नल विधायक निधि से भी लगता है सांसद भी लगवाता है अन्य जगह से भी लगते हैं केवल ग्राम विकास अकेले नल नहीं लगवाता है मैंने अपने विभाग की जानकारी दी दूसरा प्रश्न इनका था क्या जनप्रतिनिधियों की राय ली जाएगी हमने पहले ही कहा कि जनप्रतिनिधि सर्वोच्च है उनकी राय सबसे पहले ली जाएगी उनका अगर कोई पत्र जाता है तो हमने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि जो जनप्रतिनिधि देता है उसको देखकर करना पड़ेगा।

श्री मनीष असीजा–

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपना भी प्रश्न रखना चाहता हूं पहला तो यह बिन्दु है कि हैण्ड पम्प पर्याप्त संख्या में हैं दूसरा इस प्रश्न में दूषित पेयजल समस्या के ऊपर ध्यान दिलाया गया मंत्री जी आपके उत्तर में यह है कि द्वितीय स्टेटा पर इसकी बोरिंग कराई जाय आप प्रदेश में व्यापक अध्ययन करा लें बहुत जगह ऐसा है जहां पर पहले और दूसरे स्टेटा में ही हाई फ्लोराइड और हाई आर्सेनिक युक्त पानी है इसके कारण पूर्व में जैसे मेरे साथी ने बताया कि गम्भीर बीमारियां होती हैं और यह सभी के लिए समस्या का विषय है मैं आपसे सीधा प्रश्न करना चाहता हूं पानी पीने के लिए विशेषकर स्वच्छ पानी के लिए क्या सरकार शुद्ध पेयजल नीति बनाने का कार्य करेगी एक और इस नीति को बनाकर बजट आवंटित करके प्रदेश स्तर पर सभी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2022 तक 90: हम वाटर पाइप लाइन से गांव के लोगों को पानी देने का लक्ष्य रखा है नम्बर एक ओर जहां तक हमने पहले कहा कि शुद्ध पेयजल देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और इसको हम दे रहे हैं और जहां कमी है हम उसको दूर कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब तो सारे प्रश्न का उत्तर आ गया है। खन्ना जी, आपका क्या प्रश्न है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया कि उन्होंने हर ब्लाक में 100–100 इंडिया मार्का–2 की रिपेयरिंग का, रिबोर के लिये आदेश दिया है। मान्यवर, एक ब्लाक में 60, 70, 80 और जो बड़े–बड़े ब्लाक हैं वहां इससे ज्यादा गांव उसमें समाये हैं इसके अलावा उसके मज़रे भी हैं मान्यवर। ऐसा कोई गांव नहीं है मान्यवर, जहां आज की तारीख में 10–10 नल लगे थे उसमें 25 परसेन्ट से 40 परसेन्ट

नल खराब हैं। जो सख्या माननीय मंत्री जी ने निर्धारित की है मान्यवर, वह बहुत कम है। इस संख्या को बढ़ाकर यह आदेश करेंगे कि जितने भी रि–बोर होने लायक नल हैं उन सारे के सारे नलों को रि–बोर करा दिया जायेगा। मान्यवर सीधा सा सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से है।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

माननीय अध्यक्ष जी, खन्ना जी की समस्या करीब–करीब जायज़ है इनके हिसाब से। लेकिन पिछले दिनों इतने ज्यादा रि–बोर की आवश्यकता थी कि यह एक बार में सम्भव नहीं था। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश हुए 27 मई 2014 को, 50–50 प्रति ब्लाक के आदेश किये गये। लेकिन आवश्यकता को देखते हुए दोबारा 16 जुलाई, 2014 को 100–100 के निर्देश दिये गये जो लग रहे हैं। हमने कहा कि सरकार की पूरी नजर है, जहॉ जैसी आवश्यकता होगी हम उसको ठीक कर रहे हैं। हम इनको निराश नहीं होने देंगे। शुद्ध पेयजल देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम देंगे।

श्री पंकज गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने दो बड़ी अच्छी बातें कहीं। एक तो शुद्ध पेयजल देने की नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही और दूसरा वर्ष 2022 तक हर जगह टंकी के माध्यम से पेयजल सप्लाई करने की बात कही। वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश और खास कर हमारे विधान सभा क्षेत्र उन्नाव के विकास खण्ड सरोसी में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कई ऐसे गांव हैं जहां की महिलाएं आज भी दो–दो किलोमीटर दूर जाकर जल लाने का काम कर रही हैं। मैं चिन्हित करके बता सकता हूं चन्दनखेड़ा, मोहिदीनपुर, करीमाबाद वहां पर ऐसे 4–5 गांव हैं जहां की महिलाएं आज भी 2–2 किलोमीटर दूर जाकर जल लाने का काम करती हैं। न वहां पर हैंड पम्प काम कर रहे हैं, न वहां पर टंकी द्वारा पानी की सप्लाई हो रही है। आपने नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही, वर्ष 2022 तक पानी की टंकी लगाकर पाइप लाइन से पानी सप्लाई करने की बात कही। क्या उन गांव के लोगों को 2022 तक पेयजल के लिये इंतजार करना पड़ेगा ? यह माननीय मंत्री जी से मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन क्षेत्रों के गांवों को चिन्हित करके आप उन गांवों में कोई अतिरिक्त व्यवस्था या वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम करेंगे ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने पहले कहा कि सरकार का संकल्प है, वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत ग्रमीण आबादी को पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति कराई जायेगी। माननीय सदस्य ने कहा कि इनके क्षेत्र में 2–4 ऐसे गांव हैं। यह सही बात है कि हम विधान सभा के अंदर प्रश्न लगाते हैं और उसका उत्तर आता है। यह हमारी आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हमारी विधान सभा में कहीं दो एक जगह नहीं लगा है तो हमारे और भी साधन हैं लगवाने के। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम भी अगर विधायक हैं या एम0एल0सी0 हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हम आपसे यह चाहते हैं कि आप

सक्षम हैं अगर आप दो चार नल नहीं लगा सकते तो हमारे विधायक/मंत्री बनने का मतलब क्या है ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, आपका उत्तर आ गया आप बैठिये ना माननीय सदस्य उन्नाव। लल्लू जी आप बतायें।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

मान्यवर मेरा सवाल पहले दिन भी था और सातवे नम्बर पर था। तारांकित प्रश्न लेकिन हल्ला के कारण नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं, हो गया।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुशीनगर जनपद और बलिया जनपद में सबसे ज्यादा आरसेनिक पाया जाता है और कुशीनगर में पानी में आयरन की मात्रा अधिक है जिसके कारण ए0ई0एस0 और जे0ई0एस0 जैसी गम्भीर बीमारियां यहां तक कि लीवर डैमेज, किडनी फेल और इतना ही नहीं कैंसर से भी भारी लोग पीड़ित हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि तराई बैल्ट है कुशीनगर, क्या वहां के लिए कोई विशेष योजना या परियोजना बनाकर, कुशीनगर बलिया जनपद में स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

यह आप इतना सवाल पूछ रहे हैं यह सवाल था कि शुद्ध पेयजल के लिए ग्रामीण हैण्डपम्प का मानक क्या है। दूसरा दो–दो सौ हैण्डपम्प से संबंधित था, आप कितना घुमायेंगे, बलिया, कुशीनगर का उत्तर होगा नहीं, कहां से बतायेंगे।

(शोर)

यह सवाल से संबंधित नहीं है।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

अध्यक्ष जी, कैंसर और लीवर से संबंधित तमाम रोग फैल रहे हैं।

श्री अरविन्द सिंह 'गोप'–

मान्यवर, शायद इन्होंने उत्तर को ठीक से सुना नहीं, हमने पूरे प्रदेश की बात कही, जहां तक इनके जनपद की बात है गोरखपुर और बस्ती मंडल में अध्यक्ष जी, आपको जानकारी भी है हम खुद मौके पर गए थे हमारी सरकार की पूरी नजर है और हम तेजी से काम कर रहे हैं और जो आपके सुझाव हैं उनको मानकर चल रहे हैं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक करने का अवसर दिया। अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि 2022 तक पूरे प्रदेश में पाइप लाइन के माध्यम से जल सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में जहां पर भी पानी की टंकी बनवा दी गई हैं और पाइप लाइन बिछवा दी गई हैं ऐसे हमारे क्षेत्र में तीन स्थान हैं जहां पर पाइप लाइन पूरी तरह से नहीं फैलाई गई है और कई ऐसे मोहल्ले वंचित हैं जहां सप्लाई नहीं गई है इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जहां–जहां टंकी बनी है उस पूरे गांव को पानी की सप्लाई के लिए पाइप लाइन से जोड़ने का काम सरकार करायेगी ? दूसरी बात कई जगह टंकियां बन गई हैं और पाइप लाइन फैला दी गई है लेकिन उसमें पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है तो क्या सरकार जो टंकी बन गई है वहां पर सरकार सप्लाई सुनिश्चित करेगी और जहां पाइप लाइन कम बिछी है उसको पूरी तरह से बिछवाने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें समय निर्धारित कर दिया है। फिर क्या बात है। (शोर) अब हो गया बैठिए।

श्री अरविन्द सिंह 'गोप'–

मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन के अन्दर 2012–13 में जो टंकी बनी थीं हमारे नेता जी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें विस्तार से बता चुके हैं। 2012 में जो टंकी बन गयी हैं उसमें पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है।

वर्ष 2013–14 में राज्य की जी0डी0पी0 विकास दर लगातार घटने के कारण सभी प्रकार के उद्योग धन्धे, कृषि आदि में विकास पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने हेतु सरकार की योजना

'03–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) तथा श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013–14 में राज्य की जी0डी0पी0 लगातार घटकर वर्तमान में सबसे निचले स्तर पर आ गयी है ? यदि हां, तो इसका असर प्रदेश के सभी प्रकार के उद्योग धन्धे, कृषि और विकास पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

आधार वर्ष 2004–05 पर राज्य के आय–अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। स्थायी (2004–05) भावों के आधार पर तैयार किये गये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट–जी0एस0डी0पी0) के वर्ष 2004–05 से वर्ष 2013–14 तक के अनुमानों के अनुसार प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2013–14 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी (2004–05) भावों पर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रु0 464510 करोड़ अनुमानित किया गया है जबकि वर्ष

2012–13 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद रु0 442590 करोड़ आंकलित किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दृष्टि से यह चिन्ता का विषय होना चाहिए कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वह इतनी सुदृढ़ हो कि यहां जो 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है, लेकिन यह चिन्ता का विषय है कि जो उनका लागत मूल्य है वह उनको नहीं मिल रहा है, और दूसरा यह कि जो उद्योग–धंधे हैं, सर्विस सेक्टर है सभी जगह बदहाली है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि मैंने यह पूछा था उसका उत्तर तो एक तरह से सरकार ने मान लिया कि सबसे निचले स्तर पर आ गई है, क्योंकि जो जी नहीं कहने की आदत है वह ऊपर कहीं है नहीं, तो मैं मान कर चल रहा हूं कि सरकार ने यह मान लिया है कि सबसे निचले स्तर पर आ गई है और उसको दुनिया भर के और प्रश्नों से घुमा दिया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अगर सब सही है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उद्योग के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में और कृषि पर जो लोग आधारित हैं उनको कृषि आधारित लागत मूल्य मिले, इसके लिये सरकार क्या कर रही है ? जब कृषि में लगे हुए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी वह पैसा उद्योग में आयेगा और उद्योग में जब लोग लगेंगे तभी बेरोजगारी दूर होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि एक तो सरकार ने इसके लिये क्या किया है और दूसरा यह कि क्या सरकार अगर कहती है कि नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, जी0डी0पी0 ठीक है तो क्या वर्षवाईज कोई ब्रेकअप देने की कृपा करेगी ?

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य चौधरी साहब से कहना चाहूंगा कि जो सवाल इन्होंने पूछा है वर्ष 2013–14 में राज्य की जी0डी0पी0 लगातार घट रही है। मैं कहना चाहूंगा कि घट नहीं रही है बढ़ रही है और बढ़ने में मैंने बताया कि वर्ष 2013–14 में चार लाख चौंसठ हजार पांच सौ दस करोड़ रुपया अनुमानित हुआ और वर्ष 2012–13 में चार लाख बयालिस हजार पांच सौ नब्बे करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बढ़ रही है तो हमारा नुकसान कहां हो रहा है, हमारा कोई प्रभावित नहीं हो रहा है इसलिये इस सवाल का जवाब माननीय चौधरी साहब को मिल गया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी "दादा"–

मान्यवर, जैसा आपका कहना है कि घट नहीं रही है बढ़ रही है तो मैंने यह भी अनुपूरक किया कि क्या आप अपने कथन को प्रमाणित करने के लिये सदन के समक्ष कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में वर्षवार ब्रेकअप प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

सबको जोड़कर सकल उत्पाद होता है अलग–अलग कहां होगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी "दादा"–

मान्यवर, यदि जोड़कर ही बता रहे हैं तो वह जोड़ क्या है हम भी जानना चाहते हैं।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

मान्यवर, वर्ष 2013–14 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 5 प्रतिशत रही है और जहां तक सवाल सरकार का है तो सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई गई अच्छी नीतियों के फलस्वरूप आज हमारी विकास दर अखिल भारतीय विकास दर से ज्यादा है तो कहीं भी न हमारी कृषि प्रभावित हो रही है और न ही उद्योग प्रभावित हो रहा है हर क्षेत्र में बढ़ोत्तरी है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, अभी इसमें कई सवाल हैं, लेकिन तत्काल में जिस सवाल का जवाब दिया गया मैं उसी से शुरू कर देता हूं। इन्होंने बताया कि वर्ष 2013–14 में 5 प्रतिशत वृद्धि है तो क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि वर्ष 2012–13 में कितना था ? दूसरी बात कि यह दोनों अनुमानित को घटा–बढ़ाकर बता दिया गया है। यह भी सत्य है कि कुछ सेक्टर हैं, जैसे 12–13 जो मानक हैं, फील्ड्स हैं, उसके 2–3 सेक्टरों में बढ़ा है, लेकिन जो हमारा कोर सेक्टर होता है, जिससे गरीबी या आम जन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कृषि है। इसमें पहला सवाल था कि वर्ष 2012–13 का क्या परसेन्टेज था, दूसरा सवाल है, कृषि क्षेत्र में जो आपका अनुमानित है, पिछले वर्ष की तुलना में, वह आपका बढ़ा है या घटा है, फारेस्ट में बढ़ा है कि घटा है, मैनुफैक्चरिंग में घटा है या बढ़ा है ? इसके बारे में आप बता दें, बाकी सवाल फिर पूछूंगा।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

मान्यवर, वर्षवार इसकी सूचना मा0 सदस्य को उपलब्ध कराई जा सकती है और जैसा आपने वर्ष 2012–13 के बारे में पूछा है तो 2012–13 में मैंने बताया है कि अनन्तिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद 442590 करोड़ आंकलित किया गया है और परसेन्टेज में यह 5.8 है। इसी तरह से वर्ष 2013–14 में बाढ़ आने से, ओलावृष्टि से, दैवी आपदा से जो कमी हुई है, उसके बारे में सरकार सचेत है और सरकार उसको तत्काल पूरा करने के लिए प्रयासरत है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

अध्यक्ष जी, जैसा मेरे प्रश्न में भी है, कृषि तथा मैनुफैक्चरिंग या उद्योग, इन दोनों का भी पर्टीकुलर बता दें, इस वर्ष का और विगत वर्ष का।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को इसकी विस्तृत सूचना भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अभी मंत्री जी के पास सूचना नहीं है, आपको भिजवा देंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे मूल प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया है, आपका संरक्षण चाहिए क्योंकि ओलावृष्टि से, बरसात होने से कृषि फसलें खराब हुईं और हम फिर कृषि में पीछे हो गए हैं। कहिए तो मैं बता दूं, आपके विभाग के ही आंकड़े मेरे पास हैं। जो आपकी बुकलेट छपी है, जो आपकी वेबसाइट पर है, यह सरकारी आंकड़े हैं, आज ही सुबह मैंने इन्हें 9.00 बजे निकाला है, यह भी नहीं है कि कोई पुराने आंकड़े होंगे। मान्यवर, कृषि में हम पिछड़ते चले जा रहे हैं, हमारा कृषि का 2.7 हो गया है, पिछली बार 4.9 था। मैनुफैक्चरिंग में भी हम इसी प्रकार से घटते आ रहे हैं। आपने बताया कि पिछली बार ओलावृष्टि हो गयी, फिर इस बार हो गयी तो क्या सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी कि किसी भी दैवी आपदा के कारण कृषि या मैनुफैक्चरिंग के गिरते ग्राफ को ऊपर करें जिससे आम जन को लाभ हो सके ?

श्री अध्यक्ष–

क्या मा0 मंत्री जी ऐसी कोई योजना बनायेंगे ?

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

मान्यवर, इसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने सदन में स्वयं कहा कि इस साल वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रही। मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं। अध्यक्ष जी, वर्ष 8–9 में यह वृद्धि 7.6 प्रतिशत थी, वर्ष 9–10 में यह वृद्धि 6.12 प्रतिशत थी, वर्ष 10–11 में यह वृद्धि 7.8 प्रतिशत थी, वर्ष 11–12 में यह वृद्धि 6.17 प्रतिशत थी। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनके इस 2–3 साल के कार्यकाल में अगर यह 7.5 से घटते–घटते 5.8 आ गई है तो क्या यह इनके लिए चिन्ता का विषय है या नहीं ? क्या इन्होंने इस पर विचार किया है और क्या कारण है कि इनके शासन में वृद्धि दर घटती चली जा रही है और इसके लिए इन्होंने क्या उपाय किए हैं ?

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया है कि सरकार इसके लिए प्रयासरत है और दूसरा मैं डाक्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि भारत वर्ष का जो आंकड़ा है, उससे अभी उत्तर प्रदेश आगे है। पूरे भारत की यह दर 4.5 है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, इसको इन्हीं की सरकार ने प्रकाशित किया है, जो यह कह रहे हैं कि इनके दो साल के कार्यकाल में प्रदेश की वृद्धि प्रभावित हो गई। जो जी0डी0पी0

बढ़ने की बात कर रहे हैं वह दूसरा विषय है महत्वपूर्ण है वृद्धि की दर। यह तो मैंने 04–05 के एकाउंट पर बताया अगर करेंट पर बताने लगूंगा अध्यक्ष जी तो यह और भी ज्यादा प्रभावित हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

वृद्धि दर नहीं जी0डी0पी0 पर सवाल है। वृद्धि दर क्यों पूछ रहे हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

अध्यक्ष जी जी0डी0पी0 की ही बात हो रही है। मा0 मंत्री जी इस तथ्य को बताएं इसे स्वीकार करें। इनके कार्यकाल में घटी है और यह बताएं कि इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न ही जी0डी0पी0 पर था अब चलिए। (प्रश्न संख्या–4 पुकारे जाने पर) आपको पूछना है पूछ लीजिए आखिरी सवाल है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर मैंने पहले ही पूछा था चूंकि कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र सर्विस सेक्टर और भी अनेक क्षेत्र हैं जिनकी खुशहाली पर भी जी0डी0पी0 कहिए जी0एस0डी0पी0 कहिए यह निर्भर करता है। जब लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो कैसे उद्योग बढ़ेंगे कैसे धन्धे बढ़ेंगे कैसे रोजगार के अवसर सृजन होंगे। तो मैंने यह पूछा था आपके माध्यम से कि अगर आप कहते हैं कि सब सही है या बढ़ा है तो क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि इन क्षेत्रों में आप कोई ब्रेकअप हमको बतायेंगे कि कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई सर्विस सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई औद्योगिक क्षेत्र में कितने उद्योग लगे।

श्री अध्यक्ष–

यह तो मा0 अखिलेश सिंह पूछ चुके हैं उन्होंने कहा हम लिखकर भेज देंगे। आप बैठ जाइए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

माननीय अध्यक्ष जी आपसे एक निवेदन है यह कोई आरोप–प्रत्यारोप के लिए मैंने प्रश्न नहीं लगाया था मैंने लगाया था कि सभी उधर के लोग भी इधर के लोग भी प्रदेश की खुशहाली के लिए विकास के लिए चिन्तित हैं। अगर प्रदेश का विकास होगा तो हर व्यक्ति का विकास होगा। अगर सरकार इस रूप में लेती है कि यह आलोचना कर रहें हैं यह हमारी निन्दा कर रहे हैं तो यह गलत बात है। इसका उत्तर जाना चाहिए कि सरकार ने अब तक क्या किया है। अब कितना अवसर बचा है।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर जागरूक है और चिन्तित है। मेरा आपसे अनुरोध है अब बैठ जाइए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

मा0 अध्यक्ष जी मुझे आपका संरक्षण चाहिए। यह लिखकर भिजवा देने की कौन सी परम्परा है। सदन के माध्यम से प्रदेश के लोग नहीं जान पाएंगे। प्रदेश के लोग अवगत नहीं हो पाएंगे कि सरकार ने क्या किया।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने दूसरा सवाल ले लिया है अनुग्रह नारायण सिंह का आप बैठ जाइए। आगे भी सवाल बहुत अच्छा है इसको पूछिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर इसी पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम लोग सिर्फ उसके लिए नहीं बैठे हैं। आप अनुमति दे दें तो हम पूछ लें।

श्री अध्यक्ष–

अब वह तो पूछ रहे थे। उन्होंने बता दिया। यह आपका प्रश्न नहीं है। मा0 अखिलेश सिंह ने पूछा था मा0 मंत्री ने उसका जवाब दे दिया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

माननीय अध्यक्ष जी मेरा एक निवेदन है कि यदि प्रश्नकर्ता का उत्तर अनुपूरक है जो आ रहा है वह नियमानुकूल है वह बिल्कुल स्पष्ट है तो उसका उत्तर भी आना चाहिए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर मैं ठीक से समझाकर पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

देखिए फिर उसी पर आप लौट आए। अब नहीं आप बैठ गए थे। आपने अपना सवाल किया उसका उत्तर आया। आप संतुष्ट हो गए थे बैठ गए थे। अब नहीं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–2638(एन0बी0)/2010 प्रवीन कुमार जैन बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में अनुरूप मूल्यांकन सूची के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 19–1–2015 के अनुसार जमीनों के सर्किल रेट निर्धारण की प्रक्रिया निरस्त करने के कारणों की जानकारी

'04–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने प्रवीन कुमार जैन बनाम उ0 प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन आदि मिसलेनियस रिट संख्या–2638/2010 में 19 जनवरी, 2015 को जिलाधिकारी द्वारा मनमाने ढंग एवं बगैर प्रक्रिया के सन् 2003 से जमीनों के सर्किल रेट निर्धारण करने की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित किये गये अत्यधिक मनमाने सर्किल दर को निरस्त करके निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निर्धारित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

जी नहीं।

मूल्यांकन सूची को जारी करने की प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया गया है। जिलाधिकारी, लखनऊ का आदेश दिनांक 06–08–2003, जो मूल्यांकन सूची के संदर्भ में है, को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19–01–2015 द्वारा निरस्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–2638 (एम0बी0)/2010 प्रवीन कुमार जैन बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में अनुरूप मूल्यांकन सूची के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 19–01–2015 की प्रति सभी जिलाधिकारियों को निर्णय में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप भविष्य में कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी इधर पूरे प्रदेश में भूमियों के मूल्य तो बढ़ रहे हैं और भू–माफिया बहुत सक्रिय हो गए हैं। सर्किल रेट की जो नियमावली है उसके अनुसार दो साल में इसको निर्धारित करना चाहिए लेकिन पूरे प्रदेश में प्रत्येक वर्ष जिलाधिकारी इसका निर्धारण कर रहे हैं और जो 2003 में जिस आदेश को मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है। उसके बाद से इलाहाबाद में जहां पर 25 सौ रुपये सर्किल रेट था वहां इस समय 25 हजार हो गया है। जहां पर तीन हजार सर्किल रेट था वहॉ पर 21 हजार हो गया है। इस तरह से जो बेतहाशा सर्किल रेट बढ़ाये जा रहे हैं उसी के संबंध में लखनऊ में एक याचिका हुयी थी। प्रवीन कुमार जैन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन आदि,। उसमें मा0 उच्च न्यायालय ने 19–01–2005 को जो 2003 के सर्किल रेट थे उसको निरस्त कर दिया। और कहा कि यह जिलाधिकारी द्वारा जो उत्तर प्रदेश स्टैम्प वेल्यूएशन आफ प्रापर्टी, 1997 के नियम–04 व 05 के अनुसार उसका निर्धारण न करके मैकेनिकली किया जा रहा है और यह अवैध है उसको निरस्त कर दिया। अब यह समस्या हो गयी है कि 2003 के बाद 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 में लखनऊ में जो रेट निर्धारण हुए हैं अब उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ना है और इसी के साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट इसमें निर्धारण किया है कि पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी/कलेक्टर्स, यह जो नियमावली है उसके अनुसार न करके अपने अनुसार मनमाने ढंग से मैकेनिकली कर रहे हैं। इसलिए इसको पूरे प्रदेश में भी सारे जिलाधिकारियों को यह आदेश भेजा जाये कि इस पर विचार करें और पुनरीक्षण करें। पहली बात तो यह कि 2003 के बाद जो 2003 निरस्त हो गया और उसी के आधार पर आपने जो 2005, 2007 बनाये हैं तो इसके संबंध में आप क्या करेंगे। यह बता दें।

श्री अध्यक्ष–

सवाल तो पूछिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

जो 2003 का सर्किल रेट निरस्त हो गया। उसी के आधार पर जो 2005, 2007, 2009, 2011, 2015 में इन्होंने बनाये हैं इनका क्या होगा ? इनके विषय में यह क्या निर्णय करेंगे ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, इसके आधार पर सर्किल रेट निर्धारित नहीं किये गये। जो 1997 की नियमावली है उसके बाद जिलाधिकारी एक कमेटी बनाते हैं। उसमें फील्ड के अधिकारी होते हैं और फील्ड के अधिकारी उसकी आपत्ति लेते हैं। आपत्ति लेने के बाद उसका निर्णय करते हैं और उस निर्णय के बाद सर्किल रेट प्रभावी होते हैं और जो आप 2003 के बारे में प्रवीन कुमार जैन के बारे में बता रहे हैं। जब तक सर्किल रेट प्रभावी रहते हैं। पहले दो साल थे, 2013 के बाद एक साल के हो गये हैं और उसके बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं जब तक दूसरा सर्किल रेट नहीं आ जाता है और जो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश दिये गये हैं वह सभी जिलाधिकारियों को सर्कुलेट कर दिये गये हैं और उसमें जो व्यवस्था है 1997 में, उसमें यह व्यवस्था है कि सर्किल रेट निर्धारित करते समय विभिन्न चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि बस स्टैण्ड कहां हैं, रेलवे स्टेशन कहॉ है, कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, कामर्शियल भूमि है, नॉन कामर्शियल भूमि है और उसी आधार पर जिलाधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। अगर कोई आपत्ति होती है तो वहां आपत्तियां मांगी जाती हैं और तब यह फाइनल कर दिया जाता है और मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा जो आदेश दिया गया है उसको समस्त जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ की जो मंशा है उसको ध्यान में रखकर भविष्य में सर्किल रेट निर्धारित करेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मा0 न्यायालय ने सरकार को भी और वादी को भी दोनों को सुनने के बाद उसमें यह पाया है कि और उसमें पैरा 10 में यह कहा कि कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश स्टाम्प वेल्यूएशन आफ प्रापर्टी, 1997 की नियमावली 04 और 05 का अनुपालन नहीं किया। जैसाकि अभी मा0 मंत्री जी ने बताया है कि नियमावली 04 व 05 में यही है कि प्रत्येक दो वर्ष में सर्किल रेट निर्धारित किये जायेंगे। अभी 2013 के बाद अब यह प्रत्येक वर्ष शुरू हो गया है। तो पहली बात कि अभी यह नियमावली संशोधित नहीं हुयी है और इसका भी उल्लंघन हुआ है जो यह प्रत्येक वर्ष हो रहा है। और दूसरा इसमें जो तमाम चीजें है कि भूमि कैसी है कि बंजर है ऊसर है, सिंचित है, असिंचित है। कीचड़ है, गड्ढे हैं, समतल है, इन सारी चीजों को देखा जाता है। साथ ही साथ स्टेशन कितनी दूर है, बस स्टैण्ड कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है। इन सब चीजों का इसमें अभाव पाया गया तभी माननीय न्यायालय ने यह निर्णय किया नियमावली 04 एवं 05 के अनुसार इसको फिर से करें। 2003 वाला निरस्त कर फिर से करने को कहा। अब इसका प्रभाव

निश्चित ही जो आगे सर्किल रेट निर्धारित किये जायेंगे उस पर पड़ेगा ओर उन्होनें यह भी कहा कि पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को भेजा जाये कि किस आधार पर निर्णय करें इसको पुनरीक्षिण करे। अगर पुनरीक्षण करने के बाद कोई परिवर्तन रहता है तो उसमें माननीय मंत्री जी क्या करेंगे ? क्या उसको एक बार फिर से लागू करेंगे ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, 2003 का सतही समाप्त हो गया है। अब जो नई सर्किल रेट्स जो गाइड लाइन्स माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ की हैं वह सर्कुलेट कर दी गयी हैं। जजमेन्ट जो मेरे पास है उसमें, क्लीयरिटी नहीं है। इट डस नॉट सीम टू बी जसटीफाइड। उच्च न्यायालय खण्ड पीठ ने सीम शब्द लिया है। इट डस नॉट सीम टू बी जसटीफाइड। उसने यह नहीं कहा है कि यह जस्टीफाइड नहीं है। यह बिल्कुल क्लीयर है जो भी माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन आये हैं वह सर्कुलेट कर दिये। उसी आधार पर निर्धारण कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

आपके सारे प्रश्न का उत्तर आ गया है, कुछ बचा नहीं है।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भू–माफिया और बिल्डरों की वजह से रेट और सर्किल रेट बहुत हाई हो गये हैं। शहर के आस–पास के जो सर्किल रेट हैं उनके बढ़ने का प्रभाव देहात क्षेत्र पर भी पड़ता है। वैसे तो किसान जमीन खरीदने की पोजिशन में है ही नहीं। एक–दो बीघा भी जमीन नहीं खरीद सकता। या तो भू–माफिया खरीदेंगे या तो बिल्डर खरीदेंगे लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या देहात क्षेत्र में जहां खरीद फरोख्त किसानों से किसानों के बीच में होती है, वहां सर्किल रेट बढ़ाने पर सरकार प्रतिबन्ध लगाएगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, सर्किल रेट बढ़ाने पर आपका कहना है कि गांव में जहां किसान, किसान से खरीदते हैं वहां सर्किल रेट बढ़ाने पर प्रतिबन्ध लगा देंगे ? जैसे हर वर्ष आपने बताया कि नियमों के अन्तर्गत उसका रेट बढ़ता है, ये चाहते हैं कि वह रेट न बढ़े। आप इस पर कुछ कहेंगे ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को को बताना चाहता हूं कि एक प्रक्रिया है, और जो कमेटी है उसमें स्पष्ट रूप से आपको बताता हूं कि उस कमेटी में सभी लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जो किसान है, अगर यह महसूस होता है कि सर्किल रेट बढ़ रहा है, अधिक बढ़ रहा है तो आपत्ति की सुनवाई करके उसका निस्तारण कर दिया जाता है।

प्रदेश के राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक समस्याओं को जानने के लिये प्रदेश के कुछ जनपदों के कुछ विद्यालयों में गत शोध का निष्कर्ष की जानकारी

'05–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक समस्याओं को जानने के लिये प्रदेश के कुछ जनपदों के कतिपय विद्यालयों में गत वर्ष शोध कराये थे ? यदि हां, तो इस शोध का निष्कर्ष क्या है ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

जी हां।

उत्तर प्रदेश के तीन जनपदों लखनऊ, इलाहाबाद एवं गोरखपुर में कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की विभिन्न शैक्षिक एवं वैयक्तिक समस्याओं की पहचान हेतु सामूहिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा छात्रों के बौद्धिक स्तर का आंकलन तथा समस्याओं के निवारण के परिप्रेक्ष्य में सुझाव सम्बन्धी/एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन नामक शीर्षक पर यह कार्य प्रदेश के कुल 23 शासकीय/अर्धशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शहरों/ग्रामीण छात्र–छात्राओं पर कराया गया।

इस अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :–

1–तुलनात्मक रूप में सामान्य से कम बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्राओं की संख्या उत्कृष्ट बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्राओं की संख्या से अधिक पाई गई।

2–उत्कृष्ट बौद्धिक स्तर के छात्र/छात्राओं की समस्यायें सामान्य और सामान्य से कम बौद्धिक स्तर के बच्चों की तुलना में कम पाई गई।

3–बुद्धि के स्तर का सम्बन्ध बच्चों द्वारा चिन्हित/उल्लिखित, व्यावहारिक समस्याओं से समानुपातिक नहीं पाया गया।

4–बौद्धिक स्तर एवं मानसिक योग्यताओं और समस्याओं के मध्य सम्बन्ध आनुपातिक नहीं है। सामान्य और सामान्य से कम बौद्धिक स्तर के बच्चों की समस्याओं में कोई भिन्नता दृष्टिगत नहीं हुई।

5–''व्यक्तिगत समस्याएं'' प्रपत्र के चार भाग है–तुम्हारा घर एवं परिवार, तुम्हारा स्कूल, तुम एवं दूसरे लोग तथा तुम्हारा स्वास्थ्य एवं अन्य समस्यायें। इन चार क्षेत्रों में सर्वाधिक समस्यायें विद्यालय सम्बन्धी पाई गई। दूसरे स्थान पर ''तुम एवं दूसरे लोग'' से सम्बन्धित समस्यायें थीं। तीसरे स्थान पर ''स्वास्थ्य सम्बन्धी'' समस्यायें और चौथे स्थान पर ''घर एवं परिवार की समस्यायें'' जो तुलनात्मक रूप में अन्य की अपेक्षा कम पाई गई।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को लाने का हमारा यही उद्देश्य था सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि तुलनात्मक रूप में सामान्य से कम बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्राओं की संख्या उत्कृष्ट बौद्धिक स्तर वाले छात्र/छात्राओं की संख्या से अधिक पाई गई। अर्थात् यह एक स्थापित सत्य है कि जो सर्वे उत्तर प्रदेश का हुआ है अगर इसको एक पायलट सर्वे ही मान लिया जाय तो किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाले जो सामान्य बौद्धिक स्तर के बच्चे हैं, उनसे अधिक वह बच्चे हैं जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य से कम है, यह एक तथ्य है जो मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया है, लेकिन इसका जो पांचवां जवाब है अगर उसको पढ़िये मा0 अध्यक्ष जी तो प्रपत्र स्वयं यह कहता है कि हमने चार प्रकार की समस्याओं को जानने की कोशिश की कि बच्चों में किस प्रकार की समस्यायें हैं और मा0 मंत्री जी के अनुसार घर और परिवार की समस्यायें कम थीं, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें भी कम थीं, मूलतः विद्यालय से सम्बन्धित समस्यायें अधिक थीं, ''तुम एवं दूसरे लोग'' से सम्बन्धित समस्यायें अधिक थीं। दो बिन्दु की समस्यायें तो मा0 मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। हम विद्यालय में छात्रों को इसलिए भर्ती करते हैं कि हम उन्हें सर्वांगीणव्यक्तित्व सम्पन्न नागरिक बना सकें। अब मा0 मंत्री जी एक ओर तो यह स्वीकार करेंगे और दूसरी ओर यह कहेंगे कि बौद्धिक स्तर का उनकी समस्याओं से कोई सम्बन्ध नहीं था, यह भी कहेंगे, तो दोनों एक साथ तो चलेगा नहीं। मैं मा0 मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं, मैं इस बहस को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि यह सर्वेक्षण हुआ है, हालांकि इस एक बिन्दु से यानी स्वास्थ्य सम्बन्धी बिन्दु से मेरी गम्भीर आपत्ति है, एक चिकित्सक के रूप में मैं यह नहीं मानता हूं कि जो बच्चे मन्द बुद्धि के होते हैं, उनको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें नहीं होती हैं। अधिकांशतः अगर मा0 मंत्री जी इस अध्ययन को और गहराई से करायेंगे तो यह अधिकांशतः सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र होंगे और अधिकांशतः कुपोषण के शिकार होंगे, इसलिए इनके सीखने, समझने, याद करने, मनन करने इन सब में प्रभाव पड़ने वाला है। मैं मा0 मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि यह जो सर्वेक्षण आपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कराया है, यह आपको चेतावनी दे रहा है, स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है कि बच्चों में कुछ समस्या है, क्या आप इसको पूरे प्रदेश के स्तर पर करने का प्रयास करेंगे, यह हमारा दायित्व है और दूसरे ये जो कम बौद्धिक स्तर के बच्चे हैं इनको सामान्य शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है, इसके लिए हमें शिक्षकों का विशेष प्रकार से प्रशिक्षण करना पड़ेगा, आपने यह शुरू किया है, इसलिए आपका दायित्व है, मैं इस सदन में स्वीकार करने में इंकार नहीं करता हूं अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, मा0 मंत्री जी ने उसका उल्लेख नहीं किया, शायद इस देश का पहला बजट होगा, जहां इसके के लिए अलग से बजट का प्राविधान किया गया है और यह हम सबके लिए गर्व का विषय होना चाहिए, लेकिन अगर मा0 मंत्री जी इतने बेसिक फैक्ट को स्वीकार नहीं करेंगे, तथ्यों के पीछे छुपाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमे जानना चाहिए कि समस्या क्या है और उसका समाधान शिक्षकों के स्तर पर क्या सम्भव है। क्या मा0 मंत्री जी प्रदेश स्तर पर बृहद सर्वेक्षण कराकर के यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे छात्र वास्तव में किस अवस्था से गुजर रहे हैं और उनका क्या रास्ता निकाला जा सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश के 23 विद्यालयों में 2013–14 में पहली बार इस तरह का सर्वेक्षण कराया गया और सदन में इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है और चिन्तित भी है कि प्रदेश में शिक्षा को गुणवत्ता परक शिक्षा में कैसे बदला जाय और इसके लिए हमने सर्वेक्षण कराया है, आगे हम विचार कर रहे हैं कि कक्षा छः से हम पूरे प्रदेश में इस तरह का सर्वेक्षण करायें और जो समस्यायें सामने आयें उनका निराकरण करने योग्य बच्चों को बनाया जाय जिससे वह बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज और देश की अच्छी तरह सेवा कर सकें।

नोट :–तारांकित प्रश्न सं0–5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की भांति 'समग्र विकास योजना' के अन्तर्गत विकास कार्य योजना की जानकारी

01–श्री जय प्रकाश निषाद–

1–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की भांति क्या सरकार 'समग्र विकास योजना' के अन्तर्गत विकास कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामकरन आर्य)–

प्रदेश के अति पिछड़े ग्रामों में विकास की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जो विकास की आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छ शौचालय से वंचित हैं। योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों को अवस्थापनापरक एवं लाभार्थीपरक कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 5 वर्षों में 10,000 राजस्व ग्रामों को चयनित कर संचालित कार्यक्रमों से संतृप्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों का विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु निजी भवनों का निर्माण कराने की सरकार की योजना

02–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु क्या सरकार उनके निजी भवनों का निर्माण कराकर उनमें मानक के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों को संचालित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा किराये के भवनों में संचालित तथा अन्य आंगनबाड़ी केन्द्र, जहां भवन नहीं है, उनके भवन निर्माण की कार्य योजना बनायी गयी है। भारत सरकार से सहयोग प्राप्त कर कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2004 में विज्ञापित तथा वर्ष 2006 में नियुक्त शिक्षकों की पुरानी पेंशन से आच्छादित करने की सरकार की प्रक्रिया की जानकारी

03–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004 में विज्ञापित तथा वर्ष 2006 में नियुक्त ऐसे शिक्षकों जिन्हें लगातार विभागीय प्रशिक्षण दिया जाता रहा को क्या पुरानी पेंशन से आच्छादित करने की कोई प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2005 के अनुसार 01 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त समस्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों पर पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012–2013 के मनरेगा के कार्यों की समीक्षा में लगभग 650 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना को बेहतर ढंग से लागू किये जाने का उपाय

04–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012–2013 के मनरेगा के कार्यों की समीक्षा में लगभग 650 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना पर कार्य नहीं किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में आई है ? यदि हां,

तो क्या सरकार मनरेगा योजना को बेहतर ढंग से लागू करने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''–

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2012–2013 में कुल 192 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें मनरेगान्तर्गत कार्य नहीं किये गये हैं।

भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत सभी कार्य कराए जा रहे है। मनरेगा एक मांग आधारित योजना है जो कार्य की मांग करता है, उसे कार्य दिया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रम बजट में प्रदेश के 403 ब्लाकों को आई0पी0पी0ई0 के अन्तर्गत इन्टेन्सिव प्लान बनाते हुए जहां गरीबों की संख्या सबसे अधिक है को सम्मिलित किया गया है। सरकार द्वारा जनपद स्तर पर मनरेगा योजना हेतु उपायुक्त (श्रम रोजगार) को नियुक्त किया गया है। प्रदेश में ई0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू की गई है जिसमें श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचता है। मनरेगा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था है, जिसके अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर सोशल आडिट निदेशालय की स्थापना की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला गोरखपुर के अन्तर्गत ब्लाक बेलघाट तहसील गोला बाजार के सावो ग्राम सभाओं में पोखरों के सुन्दरीकरण एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था विषयक–पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

05–श्री सुधाकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के अन्तर्गत ब्लाक बेलघाट, तहसील गोला बाजार में स्थित कुरावल न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाली सातों ग्राम सभाओं में पोखरों के सुन्दरीकरण एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ग्राम प्रधानों से न कराकर शासन स्तर से कराये जाने के सम्बन्ध में विधायक डा0 पूर्णमासी देहाती, रामकोला, जनपद कुशीनगर के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के 20 कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10495282, पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–1095282/2014, दिनांक 14 अगस्त, 2014 प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''–

जी हां।

ब्लाक–बेलघाट के कुरावल न्याय पंचायत के 04 ग्राम पंचायतों में पोखरा खुदाई/जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है तथा एक ग्राम पंचायत में कार्य प्रस्तावित है। शेष 02 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में कार्य कराया जाना प्रस्तावित नहीं है। उक्त कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत लिये गये है।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड, तहसील गोला बाजार में स्थित कुरावल न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले 07 ग्राम सभाओं में सम्मिलित कुल राजस्व ग्रामों की वर्ष 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 13306 निर्धारित मानक के अनुसार अपेक्षित 104 इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प के सापेक्ष उक्त न्याय पंचायत में अब तक 226 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। उक्त समस्त राजस्व ग्राम मानक के अनुसार पेयजल व्यवस्था से पूर्णतया संतृप्त है।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापकों के पदों पर का समायोजन का प्रकरण

06–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन के उपरान्त शिक्षा मित्रों के रिक्त पदों पर साक्षर भारत मिशन के तहत प्राथमिक विद्यालयों पर तैनात प्रेरकों के समायोजन की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के परिप्रेक्ष्य में निर्गत शासनादेश संख्या–1429/79–5–2010 दिनांक 2 जून, 2010 द्वारा शिक्षामित्रों की नवीन नियुक्ति बंद कर दी गयी है, अतः शिक्षामित्रों के रिक्त पदों पर प्रेरकों का समायोजन किया जाना संभव नहीं है।

07–श्री दीपक पटेल–

ख्2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0–24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खैसरा में दो वर्षों से लम्बित इंदिरा आवास योजना में अनियमितताओं ग्रामों की जांच सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

08–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खैसरा में दो वर्षों से लम्बित इन्दिरा आवास योजना में अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–195029, दिनांक 27–8–2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''–

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित पत्र पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) से जांच कराई गई। जांच में शिकायत ठोस आधार पर न होने कारण शिकायत को निराधार बताया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में विकास खण्डवार ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों की तथा रिक्त पदों पर तैनाती के विवरण की जानकारी

09–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में विकास खण्डवार कितने ग्राम विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''–

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी के समस्त 15 विकास खण्डों में कुल 66 ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :––

विकास खण्ड	रिक्त पद
लखीमपुर	03
फूलबेहड़	05
मोहम्मदी	04
पसगवां	03
बिजुआ	04
पलिया	06

धौरहरा	06
रमियाबेहड़	05
बेहजम	05
नकहा	03
मितौली	05
गोला	04
बांकेगंज	03
निघासन	05
ईसानगर	05

जी हां।

रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु अधियाचन उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के रक्त पदों पर पशु चिकित्सकों की तैनाती किये जाने का प्रकरण

10–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

10–क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर पशु चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी के 04 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक के पद रिक्त हैं।

इन पशु चिकित्सालयों के कार्य सम्पादन करने हेतु स्थानीय स्तर पर निकटस्थ पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी को अंशकालिक रूप से तैनात किया गया है।

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही तिलहर एवं सिंधौली के अन्तर्गत पशुओं के इलाज हेतु नये चिकित्सालयों का निर्माण कराकर न्याय पंचायत स्तर पर डाक्टरों की नियुक्तियां करने विषयक

11–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की 133, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही तिलहर एवं सिंधौली के अन्तर्गत पशु

चिकित्सालयों की अत्यधिक कमी होने के कारण क्षेत्रीय किसानों के पशुओं की इलाज के अभाव में मौतें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर नये पशु चिकित्सालयों का निर्माण कराकर डाक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी नहीं, 133, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत विकास खण्ड निगोही, तिलहर एवं सिंधौली में पशु चिकित्सालयों के साथ ही पांच पशु सेवा केन्द्र क्रियाशील हैं। पशुओं के बीमार होने की सूचना मिलने पर त्वरित उपचार कराया जाता है तथा बीमारियों से बचाव हेतु सघन टीकाकरण किया गया है। पशुओं की चिकित्सा के अभाव में मृत्यु नहीं हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी में 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्य जनपदों में किया जाना

12–श्री रामचन्द्र यादव–

प्रथम सत्र 2014 के 1ले मंगल के अता0प्र0सं0–1 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्य जनपदों में किया गया है ? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण निरस्त करने का क्या औचित्य था ? क्या सरकार उक्त 06 खण्ड शिक्षा अधिकारियों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

प्रश्नगत स्थानान्तरण में कतिपय अनियमितताएं संज्ञान में आने पर जांचोपरान्त शासन के आदेश दिनांक 27–08–2014 द्वारा स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किया गया।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला गढ़ी गाड़ीपुरा वार्ड नं0–10 में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विद्यालय को चालू कराया जाना

13–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला गढ़ी गाड़ीपुरा वार्ड नं0–10 में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विद्यालय बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों को जनहित में पुनः चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

प्रकरण के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिस पर परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

ख12.13 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 03–03–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 56 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं हैं–

पहली सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग कनैली भखन्दा का अपूर्ण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्रीमती विमला बॉथम की विधान सभा क्षेत्र नोएडा में ग्रामीणों द्वारा सीधे जमीन की बिक्री पर बनी कच्ची कालोनियों का विकास नोएडा अथारिटी द्वारा न किये जाने एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कतिपय महत्वपूर्ण मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री सुधीर कुमार की चिकित्सा विभाग के रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों का वेतन पशुपालन विभाग के रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों के समतुल्य किये जाने तथा वेतन विसंगति दूर किये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री भगवती प्रसाद की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के कतिपय मार्गों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर में हो रही विद्युत हानि को रोके जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु में न्यू बोल्डर पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्रीमती मधुबाला की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र औराई के महराजगंज बाजार में पानी की निकासी हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री मो0 इरफान की जनपद मुरादाबाद की तहसील चन्दौसी में समाजवादी पेंशन योजना में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री सतीश कुमार निगम की जनपद रायबरेली की तहसील लालगंज के ग्राम समौधा के सार्वजनिक चक मार्ग की पैमाईश पुनः कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के ग्राम नगला के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्रीमती रजनी तिवारी की (अनुपस्थित रहने पर)

तेरहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा के अन्तर्गत मथुरा–भरतपुर रोड पर ग्राम सभा अडुकी धनगांव एवं मुडेसी के मध्य एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की सहारनपुर मण्डल मुख्यालय में नया विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री रामहेत भारती की (अनुपस्थित रहने पर)

हम देख ले रहे हैं जो नम्बर लगा है उसी ढंग से ले लेते हैं। मा0 सदस्य श्रीमती रजनी तिवारी और श्री रामहेत भारती जी नहीं है तो अब नम्बर एक पर श्री ममतेश शाक्य जी हैं, क्या ये हैं, ममतेश शाक्य भी नहीं हैं। इसके बाद श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं तो आपका ले लिया, तीसरे पर श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी जी हैं तो इनका भी ले लिया गया।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं–

श्री ममतेश शाक्य, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री सुरेश बंसल, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री पूरन प्रकाश, कुंवर कौशल सिंह, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री दलजीत सिंह, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री प्रदीप चौधरी, डा0 धर्मपाल सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री अमर पाल शर्मा, श्री राम चन्द्र यादव, श्रीमती विजमा यादव, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री विजय बहादुर यादव, श्री उदय राज, श्री सुदेश शर्मा, श्री विजय कुमार दुबे, श्री मदन चौहान, श्री नीरज कुशवाहा, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री अनिल कुमार, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री उमेश पाण्डेय, श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री कालीचरण सुमन, श्री राजबली जैसल, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री अनीसुर्रहमान, डा0 अरुण कुमार, श्री गोरख पासवान।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग कनैली–भखन्दा का अपूर्ण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज–

ख्महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र–252, मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत कनैली–भखन्दा मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था लेकिन वर्तमान सरकार ने निर्माण कार्य रोक दिया है। जिससे मार्ग अधूरा पड़ा है। आम जनता को आने–जाने में कठिनाई हो रही है। क्षेत्रीय आम जनमानस में जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः उक्त मार्ग के निर्माण हेतु सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र नोएडा में ग्रामीणों द्वारा सीधे जमीन की बिक्री पर बनी कच्ची कालोनियों का विकास नोएडा अथारिटी द्वारा न किये जाने एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला बाथम–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोएडा में कहीं–कहीं ग्रामीणों द्वारा सीधे जमीन बेचने के कारण वहां सस्ती दर पर जमीन खरीदकर लोगों ने आवास बना लिये। धीरे–धीरे उन आवासों ने कालोनियों का रूप ले लिया है, जिन्हें कच्ची कालोनी कहा जाने लगा। समस्या यह है कि ऐसी कालोनियों का विकास नोएडा की अथारिटी नहीं कर रही है न ही गांवों की तर्ज पर उन्हें कोई सुविधा मिल रही है। वहां हजारों की संख्या में लोग निवास कर रहे हैं। नोएडा स्थित सदरपुर कालोनी, चोरपुर कालोनी, छिजारसी कालोनी, बहलोलपुर कालोनी आदि कालोनियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। मूलभूत सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है। पक्की सड़क, नाली, सीवर, पेयजल लाइन, बिजली आदि का अभाव है। जिससे यहां के नागरिकों का जीवन नरकीय हो गया है। कई बार शासन प्रशासन से अनुरोध करने के बाद भी यहां के नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जा सकी हैं जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त समस्त कालोनियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कतिपय महत्वपूर्ण मार्गों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। जिसके कारण आम जन का चलने में काफी कठिनाई होती है। इन महत्वपूर्ण मार्गों की विशेष मरम्मत कराने की आवश्यकता है।

1–सोमना खैर रोड से ग्राम ख्यामई तक।

2–साधू आश्रम पनेठी मार्ग से माछुआ मार्ग।

3–साधू आश्रम पनेठी मार्ग से सरमस्तपुर मार्ग।

4–सोमना खैर रोड से सोमना ग्राम में होते हुए देवपुर गोरना के पुल तक।

5–दौरऊ चण्डौस मार्ग से अमृतपुर गांव के तालाब से पं0 द्वारका प्रसाद के घर तक।

6–कटरा बरौली मार्ग पर हुरसेना मार्ग की मरम्मत।

7–हरदुआगंज पावर हाउस मार्ग से बड़ा गांव उखलाना मार्ग।

8–हरदुआ ढसन्ना इब्राहिमाबाद मार्ग।

9–हरदुआगंज पावर हाउस मार्ग से साथा मार्ग।

10–बरौली पहासू मार्ग से हरनामवास मार्ग।

11–बरौली पहास मार्ग से खुर्द खेड़ा तक।

12–बरौली पहासू मार्ग से बरौला मार्ग।

13–अलीगढ़ रामघाट रोड मार्ग से मोरथल मार्ग।

14–अलीगढ़ रामघाट रोड मार्ग से सपेरा भानपुर मार्ग।

15–अलीगढ़ बरौली मार्ग से माधवगढ़ मार्ग।

16–अलीगढ़ बरौली मार्ग से मलिकपुरा मार्ग।

17–अलीगढ़ बरौली मार्ग से सिकन्दरपुर मार्ग।

18–अलीगढ़ बरौली मार्ग से सुनाना खुर्द दरियापुर मार्ग।

19–अलीगढ़ बरौली मार्ग से हेवतपुर मार्ग।

20–अलीगढ़ बरौली मार्ग से बरई सुभानगढ़ी मार्ग।

अतः मैं चाहूंगा कि निम्न सम्पर्क मार्गों को विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

चिकित्सा विभाग के रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों का वेतन पशुपालन विभाग के रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों के समतुल्य किये जाने तथा वेतन विसंगति दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुधीर कुमार–

ख्ख महोदय, श्रीमान जी मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग के रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों की वेतन विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में महानिदेशक, परिवार

नोट :–ख्ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। जिसमें अवगत कराया गया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों के कुल 69 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 67 रेफ्रीजरेटर मैकेनिक कार्यरत हैं। मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2005 द्वारा 04 रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों को पशुपालन विभाग के रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों के समतुल्य वेतनमान रु0 1350–2200 दिनांक 01 जनवरी, 1986 से स्वीकृत किया गया था। पशुपालन विभाग के रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों के समतुल्य वेतनमान न मिलने के कारण चिकित्सा विभाग में कार्यरत 67 रेफ्रीजरेटर मैकेनिकों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय ज्वलन्त विषय में शासन से कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का आग्रह करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के कतिपय मार्गों का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद–

ख्महोदय,जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में निम्न सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं। उक्त सड़क की पुनः निर्माण जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है।

1–पी0टी0ए0 मार्ग से बिहारीपुर मार्ग, ल0–800 मी0 (लगभग)

2–पी0टी0ए0 मार्ग से तेहरा मार्ग, ल0–900 मी0 (लगभग)

3–पी0टी0ए0 मार्ग से हैवतपुर मार्ग, ल0–1 कि0मी0 (लगभग)

4–पी0टी0ए0 से सहरोई मार्ग पर पिपलगांव व सहरोई ग्राम के आबादी भाग में सी0सी0 मार्ग 250–250 मी0 (लगभग)

5–खैर सोभना मार्ग से बाइदपुर दरकरनगरिया मार्ग, ल0–2 कि0मी0 (लगभग)

6–नगला पदम उमरी मार्ग से नगला जैत तक, ल0–800 मी0 (लगभग)

7–खैर सोमना मार्ग से नगला मुन्नी लाल, ल0–600 मी0 (लगभग)

8–पी0टी0ए0 से नयोदय विद्यालय तक, ल0–800 मी0 (लगभग)

9–पी0टी0ए0 से से छज्जूपुर मार्ग, ल0–1.5 कि0मी0 (लगभग)

10–पी0टी0ए0 से नायल तक, ल0–900 मी0 (लगभग)

अतः मैं चाहूंगा कि इस सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

मेरठ महानगर में हो रही विद्युत हानि को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

ख महोदय, समूचे मेरठ महानगर में मार्ग प्रकाश के बिन्दु दिन में भी जलते रहते हैं। सोडियम लाइट और उनके चोक की आयु सीमा घण्टों में होती है। दिन–रात जलने के कारण जहां इनकी आयु घटती है वहीं बिजली की भी अनावश्यक खपत होने के कारण बिजली की कमी को देखते हुए यह अनुचित है।

उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग के नियमावली में व्यवस्था है कि मार्ग प्रकाश फेज वायर फैलाकर उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन नगरीय निकायों को देगा तथा प्रत्येक खम्भे पर 60 वाट का बल्ब लगायेगा।

इस सदन के माध्यम से भी कई बार आग्रह करने के बावजूद अभी तक उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन ने कोई कार्यवाही नहीं की है और इसका नतीजा यह है कि बिजली की भी हानि हो रही है और उपकरणों की आयु घटने के कारण आर्थिक व्यय भार भी बढ़ रहा है।

मैं अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु में न्यू बोल्डर पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कई स्थानों पर आयरन एवं न्यू बोल्डर पीचिंग का कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। खेतवल तिवारीपुर बूढ़ी राप्ती नदी पर बांध 300 मीटर ग्राम पंचायत मूतहिया टोला खिरहवा, ककरही पुल से पश्चिम की तरफ घाट स्थल पर संगल दीप गांव में राप्ती नदी गांव के चारों तरफ अमरिया में बांध निर्माण लम्बाई लगभग 200 मीटर फत्तेपुर टोला बंगलवा बूढ़ी राप्ती नदी पर 200 मीटर का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है। यह प्रकरण क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र औराई के महराजगंज बाजार में पानी की निकासी हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मधुबाला–

ख महोदय, आपका ध्यान जनपद भदोही के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र औराई की तरफ आकर्षित कराना चाहती हूं। मान्यवर, महराजगंज बाजार हमारे विधान सभा क्षेत्र में आता है यहां पर पानी निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जिस कारण जलभराव

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बना रहता है। आने–जाने में वहां के स्थायी निवासियों को काफी परेशानी होती है तथा बरसात के दिनों में जल भराव के कारण बड़े–बड़े गड्ढे हो जाते हैं। पानी की निकासी की व्यवस्था कराना जनहित में आवश्यक है और मेरा यह सुझाव है कि अगर महराजगंज बाजार में अण्डर ग्राउण्ड नाली का निर्माण करा दिया जाय तो जलभराव की समस्या समाप्त हो जायेगी तथा क्षेत्रीय लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जलभराव की समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति काफी आक्रोश भी है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व एवं जनहित की सूचना पर जलभराव की समस्या को खत्म किये जाने हेतु महराजगंज बाजार में तत्काल अण्डर ग्राउण्ड नाली का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं।,

जनपद मुरादाबाद की तहसील चन्दौसी में समाजवादी पेंशन योजना में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौ0 इरफान–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 30 बेलारी जनपद मुरादाबाद सम्भल से ग्राम पैगारफातपुर ब्लाक बिलारी तहसील चन्दौसी जनपद सम्भल में तैनात कर्मचारी/अधिकारी द्वारा समाजवादी पेंशन के 86 लाभार्थियों की जो सूची जारी की है जिसमें केवल 5 अल्पसंख्यक, दो सामान्य जाति, 17 ओ0बी0सी0 तथा 62 एस0सी0 के रखे/चयनित किये गये हैं। शासन के नीति के विरुद्ध है। जिसकी जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक है। ग्राम उक्त में तैनात ग्राम्य विकास अधिकारी की मानसिकता एवं उसकी कार्यशैली शासन से नीतियों के विरुद्ध है। ऐसा कार्य उसने क्षेत्र के अन्य ग्रामों में भी किया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषयों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग सरकार से करता हूं।,

जनपद रायबरेली की तहसील लालगंज के ग्राम समोधा चक मार्ग की पैमाइश पुनः कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश कुमार निगम–

ख्ध महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद रायबरेली के परगना सरेनी तहसील लालगंज के ग्राम समोधा के सार्वजनिक चकमार्ग के गाटा संख्या–220 की तरफ ले जाना चाहता हूं। जिसके पैमाइश में नहर की चौड़ाई 14 मीटर है जिसे 20 मीटर बताकर पैमाइश की गयी इससे ग्राम की श्रीमती कृष्णा को तहसील कर्मी/अधिकारी द्वारा न जाने क्यों लाभ पहुंचाया जा रहा है। जबकि सड़क से पैमाइश करने पर सही पैमाइश हो रही है इस सन्दर्भ में प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग उ0 प्र0 शासन के पत्रांक–80/प्र0स0/स0वि0/2014–15 दिनांक 13 जनवरी, 2015 के आदेशों की भी

नोट :–ख्ध, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवहेलना करते हुए सड़क से पैमाइश की रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है। जिससे ग्राम समोधा में असन्तोष व्याप्त है और कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः मैं उक्त प्रकरण पर प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के आदेशानुसार की गयी सड़क की सही पैमाइश रिपोर्ट के अनुसार चकमार्ग को चिन्हित कर शासन की रिपोर्ट भेजने हेतु इसे नियम–301 में उठाने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।,

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के ग्राम नगला के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर उपाध्याय–

ख्महोदय, कृपया आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला हाथरस के मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के ब्लाक सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम नगला जलाल से टीकरी खुर्द, कपसिया, ईसेपुर होते हुए बाजिदपुर मार्ग तक (ल0 लगभग 11 कि0मी0) सड़क अत्यधिक जर्जर/पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में है। क्षतिग्रस्त सड़क पर लगभग बीस ग्राम पंचायत पड़ती हैं। उक्त क्षतिग्रस्त सड़क से हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। क्षतिग्रस्त सड़क होने से आये दिन राहगीरों के साथ मार्ग दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है। मेरे द्वारा स्वयं भी कई बार सरकार से क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा के अन्तर्गत मथुरा–भरतपुर रोड पर ग्राम सभा अडुकी, धनगांव एवं मुडेसी के मध्य एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

ख्महोदय, जनहित एवं लोकमहत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद मथुरा के मथुरा ब्लाक अन्तर्गत मथुरा–भरतपुर रोड पर अवस्थित ग्राम सभा अडुकी, धनगांव एवं मुडेसी के पास एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापित किया जाना बालिका शिक्षा हित में आवश्यक है। मथुरा ब्लाक के मथुरा–भरतपुर रोड पर स्थित अडुकी, धनगांव एवं मुडेसी ग्राम सभाओं के आस–पास के 15 कि0मी0 तक कोई भी इण्टर कालेज नहीं है। जिस कारण इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की लड़कियां 15 कि0मी0 दूर जाकर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं तथा जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 8 तक) तक ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद पढ़ाई बन्द करने को विवश हो रही हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीण अभिभावक सुरक्षा के कारण अपनी बच्चियों को अपने घर से 10–15 कि0मी0 दूर शिक्षा ग्रहण करने हेतु नहीं भेजना चाहते। जबकि वर्तमान समय में प्रदेश सरकार द्वारा सभी को समान शिक्षा एवं अवसर प्रदान करने तथा इस हेतु प्रोत्साहीत करने की योजना प्रचलित है। ऐसी स्थिति में मथुरा–भरतपुर रोड पर अवस्थित अडुकी, धनगांव एवं मुडेसी ग्राम सभाओं के मध्य जहां

राजकीय विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध हैं, में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज सरकार द्वारा शीघ्र स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण अविलम्बनीय, जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए छात्राओं के शिक्षण हित में मथुरा जनपद के मथुरा ब्लाक अन्तर्गत मथुरा–भरतपुर रोड पर अवस्थित ग्राम सभा अडुकी, धनगांव एवं मुडेसी के मध्य एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

सहारनपुर मण्डल मुख्यालय में नया विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर–

ख महोदय, सहारनपुर मण्डल मुख्यालय है तथा सहारनपुर के विद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से सम्बद्ध है। चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से कुल 670 विद्यालय सम्बद्ध हैं। इतने अधिक विद्यालय सम्बद्ध होने से सहारनपुर, शामली व मुजफ्फरनगर के विद्यालयों का कार्य अत्यधिक प्रभावित होता है तथा छात्र–छात्राओं को छोटे–छोटे कार्यों हेतु बहुत दूर मेरठ जाना पड़ता है जिससे समय की बर्बादी व अन्य समस्याएं आती हैं। विश्वविद्यालय ग्रान्ट कमीशन के अनुसार एक विश्वविद्यालय में लगभग 100 विद्यालयों को ही सम्बद्ध किया जाना चाहिए जबकि सहारनपुर, शामली तथा मुजफ्फरनगर जिलों में लगभग 200 विद्यालय हैं। इसलिये उपरोक्त तीनों जिलों के विद्यालयों को एक नया राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर में बनाकर उससे सम्बद्ध किया जाय जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा व छात्र–छात्राओं के समय व पैसे की बर्बादी नहीं होगी।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की कृपा की जाये तथा नया राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर में बनाने की कार्यवाही की जाये।,

विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर के अन्तर्गत ब्लाक ददरौल के ग्राम राई खुर्द, ग्राम घूरखेड़ा आदि कतिपय ग्रामों का मार्ग नाली सहित मनरेगा से बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 135–शाहजहांपुर के अन्तर्गत आने वाले ब्लाक ददरौल के ग्राम राईखुर्द (खुर्दराई), ग्राम घूरखेड़ा, ग्राम शहवाजनगर व इसकी नई बस्ती, ग्राम रोशननगर में जो कच्चे मार्ग हैं जनहित में बनना अत्यन्त आवश्यक है। यह मार्ग मनरेगा से बन सकते हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि नाली सहित मार्गों का निर्माण करवाने का कष्ट करें।,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के अन्तर्गत आने वाले बड़े गांव झांझर को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख महोदय, जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के अन्तर्गत एक बहुत बड़ा गांव झांझर है यह गांव बुलन्दशहर जेवर मुख्य राजमार्ग पर स्थित है। इसकी आबादी लगभग 20 हजार है यहां पर काफी बड़ा बाजार एक इण्टरमीडिएट कालेज तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से एक सरकारी डिस्पेंसरी है। इस गांव के बाद जनपद गौतमबुद्ध नगर की सीमा प्रारम्भ हो जाती है जहां तीव्र गति से विकास हो रहा है लेकिन बड़ी आबादी का गांव होने के उपरान्त भी सरकार से विकास हेतु कम धन मिलने के कारण यह मूलभूत सुविधाओं जैसे पीने का पानी, पक्की नालियां, विद्युत व्यवस्था आदि सुविधाओं के लिये तरस रहा है। विकास न होने के कारण यहां के निवासियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। इसकी घनी आबादी को देखते हुए इसके विकास के लिये जनहित में इसे नगर पंचायत घोषित करना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।,

ख12.14 बजे, औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 में कोई बहुत प्रश्न नहीं हैं। आज दिनांक 03 मार्च, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 02 सूचनायें प्राप्त हुईं–

पहली सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130, बीसलपुर में मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्यों जैसे यात्री छादक, शवदाह गृह, स्टेडियम, रैन बसेरा, वृद्धाश्रम आदि की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी विकास कार्य सम्पन्न न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की वर्तमान सत्र में दिनांक 27 फरवरी, 2015 व 06 मार्च, 2015, शुक्रवार को क्रमशः बैठक न होने व अवकाश पड़ने के कारण हुए असरकारी दिवसों के नुकसान की पूर्ति हेतु उनके स्थान पर अलग से दो असरकारी दिवस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

असरकारी संकल्प व असरकारी विधेयक के दिन विधान सभा की बैठक अवकाश के कारण न होने पर अलग से दो दिवस उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मा0 बाजपेयी जी, इस पर कार्य–मंत्रणा समिति में बात हुई थी और यह तय हुआ है कि असरकारी दिवस आपको दिलाया जायेगा इसलिये इसमें कहने की क्या जरूरत है ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका और कार्य–मंत्रणा समिति का आभारी हूं कि इसका निर्णय ले लिया गया है। अगर यह अब तक मेरे संज्ञान में होता तो मैं शायद इसको नहीं रखता लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इसके लिये निर्देश दे दें और वह परम्परा बन जाये कि यदि असरकारी दिवस, जो नियमावली में हमारा अधिकार है, किसी कारणवश प्राप्त न हो तो उसको अन्य दिवस में दिये जाने की स्थायी व्यवस्था हो। सदस्य असरकारी संकल्प के माध्यम से महत्वपूर्ण समस्या को सदन के संज्ञान में लाता है और असरकारी विधेयक से उसकी प्रशिक्षण होती है विधेयक के सम्बन्ध में तो अगर किसी कारणवश अवकाश हो जाये, वह अवसर समाप्त हो जाये तो मेरा एक विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है और सदन अपने कार्य का मास्टर होता है। कृपा करके आप यह निर्देश देने पर विचार कर लें कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो कार्य–मंत्रणा के माध्यम से असरकारी संकल्प और विधेयकों को लेने के लिए शुक्रवार के अतिरिक्त भी हम दिन उपलब्ध कराएंगे। अगर आपका कृपापूर्वक यह निर्देश प्राप्त हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि कार्य–मंत्रणा से इस बार का हल निकल रहा है लेकिन आपके इस निर्देश से हमेशा के लिए एक स्थायी बात बन जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका कृपापूर्ण निर्देश चाहता हूं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। मैंने औचित्य का प्रश्न सुना, चूंकि कार्य–मंत्रणा समिति में इस पर विचार हो चुका है, लेकिन आपने जो भविष्य की बात की है उस पर विचार किया जायेगा। इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें मद संख्या–2 में कुछ नहीं है।

ख12.15, जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित थुरंडा चौराहे से पचपेड़ा ग्राम पंचायत उमिला से होते हुए कांटे चौराहे तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री जुबेर अहमद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित थुरंडा चौराहे से पचपेड़ा ग्राम पंचायत उमिला से होते हुए कांटे चौराहे तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री जुबेर अहमद व श्री तवक्कल हुसेन निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित पैड़ी हनुमानगंज मार्ग पर स्थित गंगौली से पुरैना मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शकील अहमद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित पैड़ी हुनमानगंज मार्ग पर स्थित गंगौली से पुरैना मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शकील अहमद व श्री हाफीज यासीन निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित ग्राम पंचायत अगया से ग्राम पंचायत छाता, सुजिया, बसडीला होते हुए देवरियालाल तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक डा0 कलीमुल्लाह आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित ग्राम पंचायत अगया से ग्राम पंचायत छाता, सुजिया, बसडीला होते हुए देवरियालाल तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक डा0 कलीमुल्लाह व श्री फिरोज अहमद निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित पैड़ी हनुमानगंज मार्ग पर रुदौली चौराहे से होते हुए ग्राम पंचायत एक्साकला तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वैस मोहम्मद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित पैड़ी हनुमानगंज मार्ग पर रूदौली चौराहे से होते हुए ग्राम पंचायत एक्साकला तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वैस मोहम्मद व हाजी मो0 अनीस निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 चौराहा से केकरहवां होते हुए ग्राम पंचायत करमा खान मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री इफ्तेखार अहमद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियांवा में स्थित बी0एम0सी0टी0 चौराहा से केकरहवां होते हुए ग्राम पंचायत करमा खान मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने

विषयक श्री इफ्तेखार अहमद व श्री अब्दुल कादिर निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ख्12.17 बजे, जनपद प्रतापगढ़ में बन्द पड़ी ए0टी0एल0 फैक्ट्री की जमीन पर नये औद्योगिक केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री विनोद पटेल व श्री रणजीत वर्मा, निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ में बन्द पड़ी ए0टी0एल0 फैक्ट्री की जमीन पर नये औद्योगिक केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री विनोद पटेल व श्री रणजीत वर्मा, निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा सरायनाहरराय में उप मण्डी स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगन्नाथ वर्मा आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0आर0 के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा सरायनाहरराय में उप मण्डी स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगन्नाथ वर्मा व श्री सईद अहमद निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ख्12.18, जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली के ग्राम विजरडूहा के प्राथमिक विद्यालय से दयाशंकर उपाध्याय के घर तक दूरी लगभग 250 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दयाशंकर उपाध्याय आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के विकास खण्ड रूधौली के ग्राम विजरडूहा के प्राथमिक विद्यालय से दयाशंकर उपाध्याय के घर तक दूरी लगभग 250 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दयाशंकर उपाध्याय व श्री पंकज निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली के ग्राम गिधार में सुमित्रानन्दन श्रीवास्तव के घर से श्री राम प्रकाश के घर तक दूरी लगभग 250 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री उमेश पाण्डे आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली के ग्राम गिधार में सुमित्रानन्दन श्रीवास्तव के घर से श्री राम प्रकाश के घर तक दूरी लगभग 250 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री उमेश पाण्डेय व श्री सुमित्रानन्दन निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली के ग्राम परसा तिवारी में मुख्य सड़क से दूरी लगभग 1200 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गौरव मणि त्रिपाठी आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली के ग्राम परसा तिवारी में मुख्य सड़क से दूरी लगभग 1200 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गौरवमणि त्रिपाठी व श्री रामतेज चौधरी निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ख12.19 बजे, जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रम्हपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा खरखुटा से छितहरी भरकटा तक कच्ची सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री रवि प्रताप आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रम्हपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा खरखुटा से छितहरी भरकटा तक कच्ची सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री रवि प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ख12.20 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट भाषण प्रति में त्रुटि को इंगित किया जाना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7, 8 तथा 9 कुछ नहीं है। निषाद जी, राजमती जी, बैठ जायें ।

(श्री अजय कुमार ''लल्लू'' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपका क्या कहना है।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

मान्यवर, यह 64 नम्बर पेज पर जो यह बजट का है इसमें लिखा हैं कुल व्यय है 3 लाख 2 हजार 627 रुपये।

श्री अध्यक्ष–

बैठो, अब इसमें बजट पर भाषण खत्म हो गया।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

अध्यक्ष जी, इसमें भाषण नहीं देना है इसमें कुछ संशोधन करना हैं। यह 23 करोड़ रुपया इसमें लिखा है 23 लाख है और इसमें छपा है 32 लाख, इसको संशोधित करना है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अधिकारी इसको संशोधन कर लेंगे।

ख12.21 बजे, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव[४]

श्री अध्यक्ष–

देखिये, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 4 दिन हो गयी है और आज भी बहुत से लोग, परसों तो जब बन्द हो रहा था तो कोई बोलने को था नहीं, सब जितने माननीय सदस्य थे सब बोल कर चले गये थे, आज बहुत से लोग बोलना चाहते हैं लेकिन आज इस पर कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे। अब माननीय मौर्य जी अपना संशोधन रखें हैं उस पर अपना वाइण्डअप करेंगे उसके बाद माननीय संग्राम सिंह 2 मिनट बोलेगे उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, संशोधन प्रस्ताव रखते हुए मैंने अपने भाषण के दौरान सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को इंगित किया और मान्यवर मैने आपके माध्यम से भी अनुरोध किया कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण केवल प्रदेश की जनता के लिए छलावा है, धोखा है उसके सिवाय कुछ नहीं है और एक एक बिन्दु पर मैने विस्तार से अपनी बाते रखीं। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें संशोधन प्रस्ताव पर जिसको ले करके 51 माननीय सदस्यों ने विपक्ष की तरफ से और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले डा0 संग्राम सिंह जी तथा समर्थक तेज नारायण पाण्डेय को लेकर 21 लोग सत्ता पक्ष के उन्होंनें इसमें शिरकत की। माननीय अध्यक्ष जी, 21 लोग जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अपनी बात रखे हैं उन्होंने भी क्षेत्र की तमाम समस्याओं को इंगित करते हुए कहीं न कहीं संशोधन प्रस्ताव पर बल दिया और विपक्ष के माननीय 42 माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्ताव रखे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ और यदि यह सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते हैं और यहॉ तक कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव के बहाने तमाम अपने सुझाव संशोधन के रूप मे प्रस्तुत किये हैं।

(सत्तापक्ष के श्री योगेश प्रताप सिंह एवं दो अन्य सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये, मौर्य जी को बोलने दीजिये। आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं जवाब देंगे। माननीय मौर्य जी, कृपया आप संक्षेप करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

---

[४] दिनांक 19 फरवरी, 2015 की कार्यवाही से।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बोलते तो मैं कुछ पूछता, लेकिन आपने तो बिना माननीय मुख्य मंत्री जी के बोले मुझे खड़ा कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी, यह नियम है कि आप संशोधन पर अपना बल देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से 73 माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी बातों को रखा और माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्रदेश के सभी क्षेत्रों की समस्याओं को जोड़ दिए जाने तथा दिये गये सुझावों को संशोधन के रूप में इसमें सम्मिलित कर लिए जाने पर हम समझते हैं कि सत्तापक्ष के सदस्यों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। यदि यह सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि यह जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है, यह केवल दिखावा, छलावा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिये मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे तब उसके बाद माननीय संग्राम सिंह जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान हो जायेगा।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मैं धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जहां माननीय सदस्य डा0 संग्राम सिंह के प्रस्ताव के समर्थन पर धन्यवाद देता हूं, वहीं नेता प्रतिपक्ष से लेकर लगभग 71 और सदस्यों द्वारा रखी गई बातों, विचारों, सुझावों पर धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि पहली बार सदन में ऐसा हो रहा होगा कि सबसे कम उम्र के चुने हुये माननीय विधायक ने विधान सभा में धन्यवाद प्रस्ताव रखा होगा, इसके लिए मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे कम उम्र के मुख्य मंत्री जी भी अपना भाषण दे रहे हैं, यह भी तो एक खासियत है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष भी सबसे कम उम्र के हैं।

(सदन में हंसी)

श्री अखिलेश यादव–

मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष को इस बात के लिए। मान्यवर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और बजट भी सदन में

पेश हो चुका है। बजट की जो बातें हैं उनको मैं अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि बजट पर चर्चा होगी, उसके बाद माननीय सदस्यों को जवाब देने का मौका मिलेगा। मैने माननीय नेता प्रतिपक्ष का पूरा भाषण सुना। माननीय नेता प्रतिपक्ष के वही जुमले हर बार तीन साल से मैं सुन रहा हूं, पहला झूठ का पुलिन्दा, इस बार वह झुनझुना भूल गये थे, तो हमें बताना पड़ा कि झुनझुना है, लेकिन वह उसी झुनझुने की तारीफ कर रहे थे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह तारीफ इसलिये कर रहे थे कि लोगों ने इन्हें तंग कर दिया, बच्चे घेराव कर रहे हैं इनके घर का।

श्री अखिलेश यादव–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यहां कहावत भी कही है और कहावत भी थोड़ा–बहुत गड़बड़ा गई, क्योंकि आप राज जानना चाहते थे और हम भी राज जानना चाहते थे कि आखिरकार जो कहावत थी वह गड़बड़ा कैसे गई ? माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि रात के दस बजे बिजली चली गई और एक बजे आई। मैं समझता हूं कि अगर उनकी जगह पर मैं होता तो जरूर मैं एक बजे पढ़ता, लेकिन माननीय सदस्य को क्या हुआ और वह कहावत भी उसी से जुड़ी हुई लगती है कि इन्होंने सुबह सरपट पढ़ा और अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष सरपट पढ़ेगे तो क्या समझ में आयेगा ? तो यह जो इनका भाषण है वह रिपीटेड भाषण है, रिकार्डेड भाषण है। आप देखियेगा कि आने वाले वक्त में जब माननीय नेता प्रतिपक्ष को भाषण देने का मौका मिलेगा तो, यही बातें फिर निकलेंगी और मैं कह सकता हूं सभी सदस्यों को, कि जब से यह सरकार बनी है, मेरी सरकार की कोशिश रही है कि नई योजनायें लायें और उन पालिसीज को लेकर आये, कैसे उनको लागू कर सकें और उत्तर प्रदेश की जनता के हर वर्ग तक कैसे यह योजनायें पहुंचाई जायें। मैं सारे सदस्यों को इसलिये भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारी बातें जो सरकार की थी, वह भी इसमें आ गयी और जहां कुछ बॉतें छूटी हैं, उन पर भी उनके विचार आये हैं। तो मैं समझता हूं कि यह स्वस्थ परम्परा है, जहां पर सदन चलता भी है और माननीय सदस्यों के सुझाव भी हम लोगों को मिल जाते हैं। मान्यवर, इन्होंने कहा कि जो भी योजनायें हैं, वह सब हमारी कापी है और केवल नाम बदल दिया गया है और जो दूसरे दल के माननीय सदस्य हैं, उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जितनी भी योजनायें हैं, वह कागजों पर तो हैं लेकिन जमीन पर दिखाई नहीं दे रही हैं। कुछ सदस्यों ने कानून–व्यवस्था पर भी बात रखी और कुछ सुझाव अपने क्षेत्रों के भी माननीय सदस्यों ने दिये हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि जो पेंशन योजना है, उसका केवल नाम बदल दिया गया है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जिस योजना के बारे में कह रहे थे, वह योजना राजनीतिक लाभ के लिये चल रही थी और हमने जो समाजवादी पेंशन योजना शुरू की है, वह हर वर्ग के गरीब लोगों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिये है, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कह सकता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर और कंडीशनल, अगर सरकारी योजना से परिवार लाभ पायेंगे तो यह योजना बढ़ेगी

भी और सरकार इसे अपने संसाधनों से चला रही है, देश में कोई प्रदेश सरकार इतने बड़े पैमाने पर हर वर्ग के गरीबों को शामिल करके कहीं कोई योजना नहीं चला पा रही है, केवल उत्तर प्रदेश सरकार ही ऐसी योजना समाजवादी पेंशन की चला रही है और अभी तो इसके तहत 40 लाख परिवारों को लाभ देने का काम शुरू किया गया है और वह भी आनलाइन है, पैसा सीधे–सीधे उनके एकाउंट में पहुंचेगा। अगर कोई शिकायत होगी तो वह सरकार तक सीधे आयेगी और हर वर्ग के लोगों को इस योजना से सीधा लाभ पहुंच रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपकी योजना थी, कितने सदस्यों को, कितने गरीब परिवारों को उसका लाभ मिल रहा था और क्या वह राजनीतिक लाभ के लिये नहीं थी। जबकि इस योजना का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है और इसका पैसा सीधे–सीधे लोगों के एकाउंट में जा रहा है। यह लोग कहते हैं कि विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप हवाई अड्डे की तरफ जाते होंगे और उधर से आते होंगे तो मैं यह कह सकता हूं कि जिन्हें विकास नही दिखाई दे रहा है, वह अपनी आंख जरूर बंद कर लेते होंगे। यह सही है कि जहां समाजवादी सरकार गरीबों का ध्यान रख रही हैं वहीं जो बढ़ते हुये शहर हैं, बी0जे0पी0 के माननीय सदस्य ने कहा कि शहर में ट्रैफिक बहुत है, सड़कों पर लोग बहुत हैं, गाड़ियां बहुत चल रही हैं, इसके लिये बाईपास होने चाहिये, शहरों में इनर रिंग रोड बनने चाहिये तो क्या यह कंजेशन समाजवादी पार्टी ने बढ़ा दिया। अगर शहर प्लांड नहीं है और शहरों में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रहा है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी एयरपोर्ट के रास्ते पर गये होंगे और उन्होंने देखा होगा कि इतने कम समय में वह भी अपने संसाधनों से काम चल रहा है, अभी तक केन्द्र सरकार का कोई सहयोग हमें नहीं मिल पाया है, केन्द्र सरकार को जो सहयोग देना चाहिये, वह भी अभी नहीं मिला, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने यह तय किया है कि केन्द्र सरकार का सहयोग मिले या न मिले, लेकिन यह मेट्रो का काम हम नहीं रुकने देंगे और केवल लखनऊ में ही नहीं इसे शुरू किया है, बल्कि और शहरों का भी डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है। जो बड़े शहर होते जा रहे हैं, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है तो जहां समाजवादी पेंशन हम दे रहे हैं वहीं शहरों को आधुनिक जमाने की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको मेट्रो कैसे दे दें, कैसे पहुंचा दें, इस पर भी काम चल रहा है। इसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा, अब वह रास्ता ऐसा है कि उस पर आप जाओगे नहीं। वैसे मैं जानता हूं कि जब वह बनकर तैयार हो जायेगा तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ही उस पर जायेंगे और मैं इन्हें लेकर जाऊंगा। यह सड़क हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत सारे केन्द्रीय मंत्री आये और जब हमने उनके सामने बात रखी की यह सड़क हम बनाने जा रहे हैं और अपने संसाधनों से बना रहे हैं तो उन्होंने तारीफ भी की कि जो लैण्ड एक्वीजीशन किया है उसमें कहीं भी किसानों का आन्दोलन नहीं हुआ है। आम सहमति से जमीन ली गई है, किसानों की सहमति से जमीन ली गई है और मैं कहना चाहता हूं कि देश में किसी भी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर लैण्ड एक्वीजीशन नहीं किया है और यदि किया है तो बता दें। लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर,

कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा तक जिनके विधान सभा क्षेत्र पड़ते होंगे वह मा0 सदस्य जानते होंगे कि इस सड़क पर काम कितनी तेजी से चल रहा है और लक्ष्य यह है कि दो साल के अन्दर यह सड़क बनकर तैयार हो जाए जिससे कि जब हम चुनाव में जाएं तो जनता को बतायें कि यह सड़क हमने बनाई है और आने वाले समय में इस तरह से उत्तर प्रदेश के दूसरे सिरे को भी जोड़ेंगे।

हम लोग कोई बिल्डरों को जमीन नहीं दे रहे हैं कोई लैण्ड पार्सल नहीं है केवल एक सड़क की अगर तुलना आप कर लेंगे, आगरा से जो सड़क बनाई है उसमें क्या–क्या लैण्ड पार्सल हो गया, कितने किसानों को लाठी खानी पड़ी कितने लोग जेल में गये, जो मा0 सदस्य उसके आसपास के क्षेत्र के होंगे वह जानते होंगे, किसान जेल में गये हैं, झूठे मुकदमें उन पर लगे हैं, कई लोगों की जाने गई हैं, लैण्ड एक्वीजीशन के बहाने कहीं दूसरों को लाभ पहुंचाने का स्वार्थ था लेकिन यहां पर कहीं किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचाया गया है। इसके अतिरिक्त इस तरह की सड़कों के किनारे हम लोग मण्डियां बनाने जा रहे हैं क्योंकि किसान को हम लोग लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आप किसानों की जमीन छीन रहे थे, उन पर झूठे मुकदमें लगा रहे थे, उनको जेल भेज रहे थे। हम किसानों के लिए मण्डी बनाना चाहते हैं, कन्नौज में मण्डी बनेगी आलू की, दूध की भी बना रहे हैं तथा अनाज और फल–सब्जी की भी बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि बड़े शहरों में मंहगाई है, मंहगाई कैसे कम होगी, मंहगाई शहरों में जरूर है लेकिन शहरों से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो कोई मॅहगाई नहीं है न सब्जी की और न दूध की। अगर कहीं हम किसानों को लाभ दे सकें और उनके सामान को बाजार समय पर पहुंचा सकें तो मैं समझता हूं कि बदलते हुए देश में यह सबसे महत्वपूर्ण काम होगा और उत्तर प्रदेश इसमें हिस्सेदारी करेगा और किसानों को सीधा–सीधा लाभ पहुंचाया जायेगा। डेयरी पर काम चल रहा है मैं मा0 सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार भी पांच साल रही है और आपने दुग्ध विकास के लिए कितना काम किया। मदर डेयरी का एक प्लान्ट उत्तर प्रदेश में आया था और पांच साल खड़ारहा, इन्होंने उसे लगने नहीं दिया, चालू नहीं होने दिया। मदर डेयरी का प्लान्ट नेता जी के समय में समाजवादी पार्टी की सरकार में आया था लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में पांच साल तक रही और इस सरकार ने उस कारखाने को लगने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार आई और दो साल के अन्दर लग करके तैयार हो गया है और वहॉ किसानों से शुरूआत भी हो गई है। आपने प्लान्ट जरूर लगाया ललितपुर में, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वहां उद्योगपतियों को जमीन दी गई थी, प्लॉट दिये गये थे वह प्लॉट छीन लिये गये हैं। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष जी से कहूंगा कि जो आपको सूचना देने वाले लोग हैं वह गलत लोग हैं, जिनके साथ आप बैठने लगे हैं उसी तरह की यह कहावत है कि ''बोतल नई है और पुरानी शराब है'' ऐसे ही कुछ कहा था या इसका उल्टा कहा था। इनके जो सहयोगी साथी हैं वह ठीक नहीं हैं जिनके साथ यह बैठ रहे हैं। अगर मा0 नेता प्रतिपक्ष ने एक भी कारखाना लगाया हो तो उसे बता दें। बता रहे हैं कि 17 उद्योगपति चले गये, कहां चले गये, कोई आया ही

नहीं, लगा कहां कारखाना और मा0 नेता प्रतिपक्ष जी को सूचना किसने दे दी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने सहयोगी साथियों से भी बचिये जो आपको सूचना दे रहे हैं। आपने पराग का प्लान्ट लगाया ललितपुर में ही, पूरा प्लान्ट लग गया, सब कुछ लग गया एक चीज छूट गई कि उसमें पानी पहुंचता ही नहीं है। उस प्लान्ट में पानी पहुंच ही नहीं सकता करोड़ों रुपए इन्होंने बरबाद कर दिये। इसी तरह से बांदा में इन्होंने एक कृषि की यूनिवर्सिटी बनाई, मान्यवर, कृषि यूनिवर्सिटी चलेगी लेकिन पानी नहीं होगा तो कैसे चलेगी। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने पानी का इन्तजाम कुछ किया था या नहीं किया था उस यूनिवर्सिटी के लिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं ताकि वह कम से कम चालू हो जाएं दोनों चीजें। इसके बाद भी आप कहते हैं कि हम नकल कर रहे हैं आपकी योजनाओं की, आपके पार्क भी हम लोगों ने देखे हैं और सरकार बनने के बाद और भी करीब से देखे हैं। जब से हमने देखा है लगभग ढाई साल, तीन साल हो गये हैं जो पार्क बने हैं उसमें पत्थरों के हाथी लगे हैं जो बैठे थे वह अभी तक खड़े नहीं हुए हैं और जो खड़े थे वह अभी तक नहीं बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर जो पार्क बना है वह उनकी ही नकल है।

(श्री मोहम्मद आजम खां ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि वैसे खिसकने वाले हैं वहां से। हंसी)

श्री अखिलेश यादव–

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जनेश्वर मिश्र पार्क भी उनकी नकल है, उनकी जमीन कब्जा कर ली है, हमारी सरकार आयेगी तो हम भी बदल देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने कैबिनेट मीटिंग में कोई डिसीजन लिया हो, एल0डी0ए0 बोर्ड की मीटिंग में आपने डिसीजन लिया हो, आपने किसी बजट भाषण में शामिल किया हो, आपने कहीं शामिल नहीं किया क्योंकि आपकी सरकार में यह चलता था कि जमीन कब्जा कर लो बस। कोर्ट की डर की वजह से आपने उस पर ईको पार्क का बोर्ड लगा दिया। आपके लोग धरने पर बैठे रहे सुबह से लेकर शाम तक और हम लोगों ने कहा कि अगर एक भी कागज दिखा देंगें तो इनको जमीन वापस कर देंगे। यह जो पार्क बना है जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर, हालांकि लोहिया पार्क को आपने देखा है, आपके खासमखास लोगों को जब आक्सीजन की जरूरत होती है तो लोहिया पार्क ही जाते हैं और मैं कह सकता हूं कि आपकी भी उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ–साथ कुछ बीमारी भी आती है, घुटने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है साइकिल, तो जनेश्वर मिश्र पार्क में साइकिल चलाने के लिए भी इंतजाम किया है। वहां नाव में भी बैठने का इंतजाम है, नाव से घूम सकते हैं, पेड़–पौधे लगाये हैं..

(मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि अब नाव में अकेले क्या करेंगे ? हंसी।)

और तमाम ऐसे पेड़–पौधे लगाये हैं कि उनकी प्रजातियां देखने को नहीं मिलती, 100 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ अलग–अलग ग्रुप के लगे हैं। आप तो कहीं पर पेड़ नहीं लगाते थे। जिस तरह से शहर बढ़ रहा है यह जरूरी है कि इस तरह की जगह शहरों के बीच में हो, जहां और लोग खासकर बच्चे, महिलायें, मातायें, बहिनें जा सकें। आप बताइये, इतना बड़ा कंक्रीट का जंगल बना लो बीच में कोई जगह तो हो जहां कम से कम लोग टहल सकें, घूम सकें, जा सकें। मुझे याद है कि जिस समय मा0 नेता जी की सरकार बनी थी, नेता जी एक बार विदेश गये थे और उन्होंने 'हाइड पार्क' में जाकर के कुछ बात रखी होगी, वहां जिन लोगों ने तस्वीर खींची थी, उस तस्वीर में लिखा गया कि क्या ऐसा पार्क लखनऊ में नहीं बन सकता। मुझे मौका मिला सरकार में आने का, वह लन्दन का 'हाइड पार्क' जरूर है लेकिन आपके लखनऊ का पार्क आने वाले दिनों में उससे कम नहीं होगा, यह एशिया का बहुत बड़ा पार्क है, सब कुछ है उसमें, बच्चों के लिए खिलौने भी हैं। सबसे ज्यादा खुशी मुझे उस समय हुई जब मैंने वहां जा करके देखा कि एक झूले पर 22 बच्चे चढ़े हुए थे। यह सरकार तो बच्चों के लिए भी कार्य कर रही है। चिड़िया घरों में हम लोग ट्रेन चला रहे हैं, आपने कोई ट्रेन चलायी हो तो बता दो। कानपुर के माननीय सदस्य बैठे होंगे, बताओ चिड़िया घर के तालाब में नाले का गन्दा पानी जाता था उसको हम लोगों ने रोका, चिड़ियाघर में गंदा नाला छोड़ दिया। पार्कों को ठीक कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं। यह समय की मांग है और समय के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। जिला मुख्यालयों को हम फोरलेन से जोड़े जिससे हमारी तरक्की, खुशहाली आये। कई जिलों में सड़कें बन रही हैं और मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतनी सड़कें बनाने की कैपासिटी नहीं थी, कैपासिटी है ही नहीं। अगर कहीं खर्च कम हुआ तो इसकी शिकायत आ सकती है लेकिन बताइये फोरलेन की सड़कों का काम शुरू नहीं किया गया क्या ? बहराइच से लेकर रूपईडीहा तक की सड़क खराब थी, अब वहां पर भी काम शुरू हो गया है। बहराइच से श्रावस्ती फोरलेन की बन रही है या नहीं बन रही है ? मैंने अपने भाषणों में भी कहा था कि मुरादाबाद से सम्भल की सड़क फोरलेन की बन रही है कि नहीं बन रही है ? आपकी सोनभद्र वाली सड़क, हालांकि कुछ काम पुरानी सरकार ने किया था, लेकिन पता नहीं क्यों अटकाया हुआ था, बताइये वह सड़क बननी शुरू हुई कि नहीं। भदोही से लेकर बावतपुर फोरलेन बननी शुरू हुई कि नहीं शुरू हुई। तो हम सड़कें बना रहे हैं। फिरोजाबाद के हमारे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं बताइये कि जो सड़क एन0एच0आई0 की बनी हुई है कितना ट्रैफिक जाम रहता है उसमें, चूड़ियों का कारोबार है जब वहां से ठेला निकलता है तो बताओ सड़क से निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। आपके दूसरे हिस्से से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे निकल रहा कि नहीं निकल रहा है ?

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, आउटर रिंग रोड और निकलवा दीजिए।

श्री अखिलेश यादव–

हमारी पार्टी में आ जाओ डबल आउटर रिंग रोड निकलवा देंगे।

हमारे आगरा के प्रोफेसर सदस्य बैठे हैं प्रोफेसर धर्मपाल साहब बताएं कि वहां इनर रिंग रोड की जरूरत है कि नहीं। बताइए कि वहां सड़क बनने लगी कि नहीं ।

डा0 धर्मपाल सिंह–

वहां पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। यमुना के इधर 20 लाख रुपए मुआवजा है और दूसरी तरफ 50 लाख रुपए मुआवजा है।

श्री अखिलेश यादव–

जो माननीय सदस्य बात उठा रहे हैं माननीय सदस्य को पूरी जानकारी है धारा चार वहां पर किस समय हुई थी यह खड़े होकर बता दें।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी धारा–4 2010 में हुई थी।

श्री अखिलेश यादव–

यही मैं जानना चाहता था। 2010 में किसकी सरकार थी। उस समय इनकी सरकार थी। चलिए कोई बात नहीं वहां पर अब सड़क बनी जा रही है। हमने जो लैण्ड एक्वीजीसन किया है उसमें चार गुना मुआवजा दिया है कि नहीं यमुना एक्सप्रेस–वे पर।

डा0 धर्मपाल सिंह–

वहॉ पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य पहले मुख्य मंत्री जी को बोल लेने दीजिए उसके बाद पूछ लें।

श्री अखिलेश यादव–

माननीय नेता प्रतिपक्ष थे वह बहुत करीब थे उनसे क्यों नहीं मांग रहे हैं। हम सड़क बना रहे हैं पुल बना रहे हैं।

(लोक दल के कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें।

श्री अखिलेश यादव–

दिल्ली अलीगढ सड़क बन गई कि नहीं। सहारनपुर वाली भी सड़क अगर उलझाए नहीं होते तो बना देते।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष–

यह तरीका ठीक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण आप सुनें उसके बाद कुछ पूछ सकते हैं।

श्री सुरेश राणा–

सहारनपुर–यमुनोत्री सड़क के बारे में बता दें।

श्री अखिलेश यादव–

माननीय सदस्य ने कहा कि जमीन पर काम उतरा ही नहीं है। क्योंकि यह सड़क को पी0पी0पी0 मोड पर शुरू होनी थी उस कम्पनी को घाटा हो गया अब घाटे वाली कम्पनी कौन लाया। उसको हम करने जा रहे हैं मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह जो यमुनोत्री वाली सड़क है उसको बहुत जल्दी शुरू करा देंगे। कुछ हिस्से में बन गई थी, बाद में काम रुक गया लेकिन अब इस पर सरकार रास्ता निकालेगी और यमुनोत्री तक 2016 से पहले सड़क बना देंगे। जब सरकार अगले चुनाव में जाएगी तो उससे भी हम लोग वोट मांगेंगे। इसी तरह से 2012 से लेकर जो सब स्टेशन बनाए हैं, क्योंकि अगर हम बिजली देने में कामयाब हो जाएंगे, एक राजनीतिक दल ने जनता के बीच में कह दिया कि हमारी सरकार अगर केन्द्र में बनेगी तो 24 घंटे बिजली दे देंगे लेकिन जनता को यह बताया ही नहीं कि बिना मीटर के कहीं 24 घंटे नहीं मिलती है। कटिया से तो कहीं मिलती ही नहीं, कहा 24 घंटे बिजली दे देंगे बताइए कटिया से 24 घंटे बिजली कैसे दे देंगे । कैसे उसका इंतजाम होगा देश में सबसे बड़ी ट्रांसमीशन लाइन कहीं बिछ रही है तो उत्तर प्रदेश में हम लोग बिछा रहे हैं। इसी तरह 2012 से लेकर अभी तक 426 33/11 के0वी0के सब स्टेशन बनाए हैं। आपने पॉच साल में कितने बनाए वह आंकड़े आपके पास होंगे वह हम लोगों को दे दें इसी तरह 64 132/200 के0वी0 के सब स्टेशन अभी तक बनाए हैं। आने वाले समय में और सब स्टेशन इसलिए बना रहे हैं ताकि फीडर सेपरेशन हो सके तहसील स्तर तक हो सके। यह हमने कुछ जिलों में शुरू किया है तेजी से काम चलाया है जहां फीडर सेपरेशन की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं ट्रांसमीशन में डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम शुरू किया है। क्योंकि आपके डिस्ट्रीब्यूटर किसी पर दबाव नहीं बना सकते कुछ जगह अण्डर लाइन केबलिंग की है। कुछ जगह काम शुरू हो गया है। संसाधन कम हैं प्राइवेटाइजेशन में जाने पर तमाम सवाल खड़े होते हैं इसलिए सरकार अपने संसाधनों से ही केबिल डालने का काम शुरू कर रही है कुछ जिलों में हमने शुरू किया है। आजमगढ़ में काम शुरू हो गया है मऊ में कर रहे हैं। अभी हमने बजट में पैसा रखा है पहली बार सरकार ने पैसा रखा है किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया हम अण्डर लाइन केबिलिंग करेंगे। इसका भी काम शुरू हो रहा है। 2012 से लेकर अभी तक 48 आर0ओ0बी0 हम लोग बना चुके हैं। 177 बड़े पुल बन चुके हैं जो कि 60 मीटर स्पैन से बड़े हैं और 76 माइनर पुलों के बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। मण्डी से क्या काम हुआ पुरानी सरकार में कोई नहीं जानता। मंडी का इस्तेमाल क्या होता था, माननीय नेता प्रतिपक्ष बेहतर बता सकते हैं। तीन वर्षों में 2580 जनेश्वर मिश्र गांव में सी0सी0 और नाली बनाने का काम किया है। (मेजें थपथपाई गईं) और अगर आप सूची चाहेंगे तो वह भी मैं दे दूंगा वह भी काम हुआ है। मण्डियां भी बन रही है, किसान बाजार भी बन रहे हैं। आपको काम नहीं दिखाई देता।

मैं समझता हूं कि जब एम्बुलेंस आती होगी तो शायद आंख बन्द कर लेते होंगें आप। या वह नई बोतल ओल्ड बोतल का मामला रहा होगा कभी–कभी, जिसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। माननीय सदस्यों को, नेता प्रतिपक्ष को काम ही नहीं दिखाई

दे रहा है। 108 एम्बुलेंस और 102 एम्बुलेंस पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं ? पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई हैं। अभी आगे बजट में चर्चा में और बात आयेगी कि कितनी और हमने बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी तरह बांदा मेडिकल कालेज के बारे में कहा। मैं जानता हूं हमारे यहां कन्नौज मेडिकल कालेज था। पांच साल बिल्डिंग बनी तैयार रही लेकिन आप उसको शुरू नहीं कर पाये न शुरू होने दिया। जालौन का भी शुरू नहीं होने दिया, आजमगढ़ का भी शुरू नहीं होने दिया। तीनों मेडिकल कालेज हमने शुरू कर दिये। आप जैसी समाजवादी पार्टी नहीं है। बांदा का जो मेडिकल कालेज आपने शुरू किया तो आप बजट का हिसाब किताब निकाल लें कि कितना–कितना हमने पैसा दिया। हमारे लिये जनता बड़ी बात है, हम जनता के लिये काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हम जनता के लिये और भी काम करना चाहते हैं। जब आपकी सरकार थी तो आप काम रोकते थे मेडिकल कालेज नहीं चालू होने देते थे। यहां मेडिकल कालेज कैसे पूरा हो जाय, उसके लिये हर बजट में पैसा रखा है और पहले साल 125 करोड़ दिया दोबारा दिया 44 करोड़ रुपये और अब मैं 12 मार्च को जा रहा हूं जिससे कि उसका लोकार्पण करके ओ0पी0डी0 शुरू करा दें। यूनीवर्सिटी भी बना रहे हैं हम लोग। जहां प्राइवेट यूनीवर्सिटी बन रही है वहीं सरकार की भी यूनीवर्सिटी बन रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी जानते होंगे वहां पर काम तेजी से हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी कई बार जा चुके हैं अपनी यूनीवर्सिटी देखने। आप बतायें कि वहां पर यूनीवर्सिटी बन रही है कि नहीं बन रही है बतायें। (बन रही है) और माननीय सदस्य जो आस–पास के होंगे वह जानते होंगें कि एक यूनीवर्सिटी बन रही है वहां पर। कामधेनु योजना, पहली बार शुरू की हम लोगों ने और इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत ग्रामीण क्षेत्र में यह बहुत पसन्द की गई। जहां बैंकों ने कुछ जगह दिक्कत पैदा की लेकिन उसका भी रास्ता निकाला। बैंकों का भी सहयोग मिला और बड़ी वाली और छोटी वाली लगभग 650 इकाइयां खुल चुकी हैं। जहां बैंकों के एकाउन्ट और बैंक खोलने का काम हुआ है, आपकी सरकार में कितनी ब्रान्चें खुलती थीं ? यह बता दें। मुझे याद है जब कांग्रेस सरकार थी केन्द्र में तो उस समय केन्द्रीय वित्त मंत्री आये थे और उन्होंने और हमने मिलकर इकट्ठी 300 ब्रान्चें खोली थीं उसी दिन और अब तक लगभग 2870 ब्रान्चें खोल चुके हैं हम लोग। किसान दुर्घटना बीमा में कितना पैसा आपकी सरकार में मिलता था और यह भी नेता जी ने ही शुरू किया था। लगभग अभी तक 1327 करोड़ रुपया हम लोग दे चुके हैं। (मेंजों की थपथपाहट) 5 लाख रुपये देते हैं हम लोग उस परिवार की मदद के लिये सहयोग के रूप में। तो यह समाजवादी सरकार ने लगातार काम किया है और जब से सरकार बनी है कोशिश की है कि नई–नई पॉलिसी लाकर हम लोग काम शुरू करें। सोलर इनर्जी पर कोई काम हुआ हो तो बता दीजिये। पॉलिसी लाकर कामयाबी मिली है। सबसे ज्यादा सोलर पावर प्लान्ट अगर कहीं लगने जा रहे हैं तो बुन्देलखंड इलाके में लगने जा रहे हैं। मैंने खुद 10 मेगावाट प्लान्ट का उद्घाटन किया है महोबा में जाकर और इसी तरह हर जगह कोशिश है। कुछ तो दो महीने तीन महीने में शुरू हो जायेंगे। डिटेल्ड एम0ओ0यू0 किया था आपने ललितपुर का,

कोयले से बनने वाली बिजली का कारखाना। मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि जब मैंने प्रस्ताव रखा था सदन में पहली बार, तो उसका समर्थन मिला था और उसी का परिणाम है कि आज वह लग करके तैयार हो गया है बहुत जल्दी ही उसका उद्घाटन हो जायेगा और उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बिजली वहां से भी मिलने लगेगी। जहां बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है। सड़कों के क्षेत्र में काम हो रहा है, ग्रामीण सड़कों का भी काम हो रहा है, उस कामों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली के रास्ते पर जाए कोशिश करके हर बजट में हमने खर्च किया है। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, सरकार के सामने अगर कोई घटना आई है तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की है और कई बार जब घटना हो जाती है तो यह सही है कि बढ़ चढ़कर घटनायें अखबार आदि के माध्यम से आती हैं लेकिन जब घटना का खुलासा हो जाए, घटना करने वालों को अगर जेल हो जाए, सजा दे दें, तो उस समय इतना बढ़ चढ़कर खबरें नहीं निकलती हैं। मैं इस सदन को भरोसा दिला सकता हूं कि जहां विकास पर सरकार काम कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है, आगे आने वाले वर्षों में तय किया है कि किसान वर्ष के रूप में हम उसको लेंगे, वहीं कानून–व्यवस्था पर भी कोई बात होगी तो ठोस कदम उठाने पर सरकार काम करेगी। जहां कहीं भी घटना हुई है उस पर सरकार ने कार्यवाही की है और लगातार करती रहेगी। इसी तरह बहुत सारी और भी बातें हैं इलाज पर तो बहुत काम किया है सरकार ने। गम्भीर बीमारी की बात अगर किसी माननीय सदस्य ने हम तक पहुंचाई होगी किसी गरीब की दरख्वास्त हम तक पहुंचाई होगी, तो मदद करने का काम, उस गरीब का, सरकार की तरफ से हुआ है।

(मेजें थपथपाई गईं)

विधायक निधि पर कहना चाहूंगा, मुझे याद है कि विधायक निधि पर गाड़ी की बात मैंने कह दी थी तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाफत कर रहे थे कि गाड़ी दे दी आपने, हालांकि यह धन्यवाद भी देते हैं कि हमने विधायक निधि से भी 25 लाख रुपया दे दिया। लेकिन अभी और भी चीजें आई हैं बहुत मंहगी–मंहगी चीजें बाजार में आई हैं। ऑक्शन भी बहुत मंहगी हुई है उस पर आपने कुछ नहीं कहा अभी तक। वह तो कम का मान रहे थे लेकिन ऑक्शन के बाद तो बहुत मंहगा निकला, बड़े दाम का निकला मामला। हम तो लाखों तक सोच रहे थे लेकिन अब करोड़ों तक बात पहुंच गई है और अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार का भी बजट आ गया है और केन्द्र का भी बजट आ गया है। मा0 सदस्यों की सरकार रह चुकी है जनता आंकलन करेगी कि किसकी सरकार बेहतर रही है। मैं माननीय सदस्यों को यह कह सकता हूं कि आप तुलना करेंगे तो समाजवादियों ने जो फैसले लिए हैं, समाजवादी पार्टी ने जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है, यही वह रास्ता है जो किसान, गरीब, मुसलमान और अल्पसंख्यक सभी को आगे बढ़ायेगा और समाजवादी पार्टी ने कहीं भेदभाव नहीं किया, किसी योजना में। हर वर्ग के लोगों को शामिल करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि तमाम रिपोर्टें आपके पक्ष में हैं जो उद्योगों से संबंधित

रिपोर्टें हैं, जो सरकार के आंकड़े हैं वह उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष हैं, मैं यह भी कह सकता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट लाने का काम शुरू हुआ है उसका परिणाम है कि, एक समय था तो कहते थे कि तुम क्या काम करोगे उत्तर प्रदेश में जाकर के अब वही उद्योगपति कहते हैं कि उनके जो सहयोगी हैं जो उनका विरोध करते थे अब वह सहयोगी कहते हैं कि हमें भी उत्तर प्रदेश में ले चलो हम भी कुछ काम करना चाहते हैं। कम से कम निवेश तो बढ़ा है और निवेश बढ़ने से रास्ता खुला है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां समाजवादी पार्टी ने काम न किया हो, इस सरकार ने काम न किया हो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य बी0जे0पी0 के नेता का भी धन्यवाद् देता हूं मा0 सदस्य कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और बहुत सारे सदस्य जिन्होंने सुझाव दिए हैं और अपनी बात रखी है और क्षेत्र की बात रखी है मैं तमाम माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूं और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि बजट के माध्यम से जो कार्यक्रम योजनायें चलाई हैं सरकार ने, वह हर वर्ग के लिए हैं। हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है और तमाम महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूं और डा0 संग्राम सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उनका भी मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं बहुत–बहुत धन्यवाद।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मा0 नेता सदन को सुना और मा0 नेता भाजपा, मा0 नेता कांग्रेस और मा0 नेता लोकदल सहित सभी मा0 सदस्यों को भी सुना। मा0 मुख्य मंत्री जी से जो अपेक्षायें थीं उसके अनुरूप यहां पर बातें नहीं आईं। मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी को भले ही कुछ न दिखाई पड़ा हो, लेकिन यह डा0 अम्बेडकर पार्क, सामाजिक परिवर्तन स्थल पर जा करके चोरी–छिपे हमारे हाथियों को देखने का काम करते हैं और मेरे बैठे हुये हाथी और खड़े हुये हाथी दोनों इनके दिल–दिमाग पर छाए हुए हैं। मान्यवर, कहीं न कहीं यह हाथी प्रेम को दर्शाता है और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि लोगों के जो भी सुझाव आये हैं चाहे धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से आये हों चाहे संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से आये हों, मैं अपेक्षा करूंगा कि उनको महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में जोड़ लिया जाए और जहां तक जमीनों के अधिग्रहण के विषय में मा0 मुख्य मंत्री जी आपने बात की। थीम पार्क के लिये एक हजार हेक्टेयर जमीन ली जा रही है और उसमें भी वर्ष 2012 से अभी तक जो रेट है वह संशोधित नहीं किया गया। मैं चाहूंगा कि संशोधित रेट पर उनको मूल्य दिलाया जाये। दूसरी चीज आगरा इनर रिंग पर जो चार गुना रेट से देने की बात आपने की है वहां के प्रभावित किसानों को भी उसको दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही साथ मा0 मुख्य मंत्री जी ने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने में कहीं न कहीं कोताही की और हम जानते हैं कि महामहिम श्री राज्यपाल जी और मा0 मुख्यमंत्री जी में छत्तीस का आंकड़ा है उसका

ध्यान रखते हुये इन्होंने घुमाफिरा कर किसी तरीके से बचाव की फर्ज अदायगी की है इसलिये मान्यवर, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 डा0 संग्राम यादव जी, जिन लोगों ने आपके प्रस्ताव का समर्थन किया है उनको धन्यवाद दे दीजिये।

' डा0 संग्राम यादव–

मान्यवर, मैं आपका बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन के अन्दर मैंने रखा था उस पर हमारे सभी मा0 सदस्यों के सुझाव आये, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, नेता भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के, नेता कांग्रेस पार्टी आदरणीय श्री प्रदीप माथुर जी के, नेता लोकदल आदरणीय श्री दलवीर सिंह जी के और जिन मा0 सदस्यों ने महामहिम श्री राज्पाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा में भाग लिया उन सबका मैं बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं स्वागत करता हूं। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि यह जो ऐतिहासिक मण्डप है यह विचार–विनिमय का केन्द्र है। मैं नेता सदन आदरणीय मा0 मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत स्वागत करता हूं कि इस ऐतिहासिक मण्डप पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं, सम्पूर्ण देश की नजर लगी रहती है। जब हमारी विधान सभाएं चलती हैं तब पूरा देश उसको देखता है और सोचता है कि इन विधान सभाओं से जो निर्णय होंगे जो फैसले होंगे वह आम जनता के हित में होंगे और यहां से जो चर्चाएं उभरेंगी वह निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और देश के अन्दर माहौल पैदा करने का काम करेंगी। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जब चर्चा में भाग ले रहे थे और हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी की जो पृष्ठभूमि है उसको पूरा देश जानता है। हम इतना कहना चाहते हैं कि हम नये सदस्य हैं और एक शेर के माध्यम से हम विशेषकर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मौर्य जी के लिये एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि "तुमने समझा नहीं ये हालात बदल सकते थे, तुमने समझा नहीं ये हालात बदल सकते थे। अरे! तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। अरे! तुम तो ठहरे वह झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे।"

हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जो दृष्टि है, जो विचार है, जो गांव है, जो गरीब है, जो किसान है, अध्यक्ष जी, आज बहुत बड़ी बात माननीय नेता सदन ने कही है, जिसके पिता को कैंसर हो जाता है, जिसकी मां को कैंसर हो जाता है, किस तरह के हालात से उसका परिवार गुजरता है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसे लोगों के बारे में सोचा गया है। सारे लोगों के बारे में सोचा गया है। मा0 अध्यक्ष जी, आपका इशारा है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभार करता हूं और विशेष कर भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों का इस बात के लिए कि बापू का देश है, लोहिया का देश है, जब बापू ने लंगोटी बांध कर आजादी के लिए देश के लोगों को जगाने का काम किया, वहां आपके प्रधान मंत्री के सूट की नीलामी हो रही हो, यह देश के अन्दर अच्छा सन्देश नहीं है। यह

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रजातन्त्र में अच्छा सन्देश नहीं हैं, देश के अन्दर इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री का सूट इतने करोड़ में बिक रहा है, कैसा सूट है ? इस बापू के देश को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात को समाप्त करिए।

डा0 संग्राम यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों के जो सकारात्मक सुझाव हैं, उनका हमारे नेता, माननीय अखिलेश यादव जी और हमारी सरकार ऐसे सकारात्मक सुझावों का स्वागत भी करती है और आने वाले दिनों में उन पर विचार करके उन पर फैसला लेने का भी काम करेगी। मान्यवर, मैं आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर दिया और महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखने का अवसर दिया, हम आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या–10 में श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद–प्रस्ताव में माननीय नेता, विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन–प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जो जोड़ दिया जाय :–

माननीय नेता विरोधी दल का प्रस्ताव था कि ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–महामाया बालिका आशीर्वाद योजना के सम्बन्ध में,

2–महामाया आवास योजना के सम्बन्ध में,

3–डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के सम्बन्ध में,

4–सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के सम्बन्ध में,

5–उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया आर्थिक मदद योजना के सम्बन्ध में,

6–मा0 श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना के सम्बन्ध में,

7–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के सम्बन्ध में,

8–उत्तर प्रदेश कानून–व्यवस्था की खराब स्थिति के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

9–उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केन्द्रों पर किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

10–गुण्डे–माफिया अपराधी व अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में,

11–प्रदेश में थानों पर हो रहे बलात्कार एवं महिलाओं के साथ किये जा रहे अभद्र व्यवहार पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में,

12–दंगा पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु योजना के सम्बन्ध में,

13–प्रतिपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

14–उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पानी न होने के सम्बन्ध में,

15–हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार, फिरौती जैसे जघन्य अपराधियों के राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में,

16–प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों पर बिचौलियों द्वारा खरीद पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

17–प्रदेश में बढ़ रहे बलात्कार/दुराचार/छेड़छाड़ घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

18–गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी करने के सम्बन्ध में,

19–गन्ना क्रय केन्द्रों पर बिचौलियों के माध्यम से गन्ना क्रय केन्द्र पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

20–गन्ना किसानों को विगत पेराई सत्र का बकाया भुगतान कराने के सम्बन्ध में,

21–गन्ना किसानों को सीधे पर्ची न देने के सम्बन्ध में,

22–गन्ना किसानों का बकाया भुगतान ब्याज सहित न करने वाले चीनी मिल मालिकों को जेल भिजवाने के सम्बन्ध में,

23–विद्युत आपूर्ति समयबद्ध सारणी के अनुसार व पर्याप्त आपूर्ति न करने से उत्पन्न प्रदेश में भयंकर बिजली संकट के सम्बन्ध में,

24–अधिकारियों के अनियमित व निरन्तर स्थानान्तरण रोकने के सम्बन्ध में,

25–बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में,

26–गरीबों की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे पर प्रभावी नियंत्रण करने के सम्बन्ध में,

27–गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा व्यवहारिक रूप से मुहैया कराने के सम्बन्ध में,

28–गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पी0जी0आई0 एवं एम्स जैसे उच्चस्तरीय चिकित्सालयों में भी निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

29–प्रदेश में बड़े पैमाने पर वन विभाग के पेड़ों के अवैध कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में,

30–प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय इण्टर कालेज को असेवित विकास खण्डों में खोले जाने के सम्बन्ध में,

31–प्रदेश में पट्टे धारकों की जमीन पर अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में,

32–जनपद इलाहाबाद के तहसील कोरावं में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

33–सरकारी एवं अद्धसरकारी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने के सम्बन्ध में,

34–प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के अध्यासियों को मकान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

35–उत्तर प्रदेश में आदिवासी जाति (कोल) को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

36–उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे कोल जाति के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिये विशेष पैकेज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

37–उत्तर प्रदेश में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में,

38–शारदा नदी व घाघरा नदी के कटान रोके जाने हेतु तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में,

39–जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत कोरांव देवघाट डम्डगंज मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

40–पूर्वांचल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि में हुई कटौती को पूरा कर समुचित बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में,

41–प्रदेश में फैल रहे महामारी के रूप में स्वाइन–फ्लू जैसे भयंकर बीमारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

42–स्वाइन–फ्लू बीमारी से प्रभावित मरीजों हेतु उचित प्रभावी चिकित्सीय व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

43–पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) जैसे भयंकर बीमारी के प्रभावी रोकथाम के उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,

44–इंसेफेलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

45–पूर्वांचल के जनपदों में गण्डक नदी से होने वाले बाढ़ प्रकोप के रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन–प्रस्ताव माननीय नेता, विरोधी दल ने प्रस्तुत किये हैं, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव भी, जो उपस्थित किये हुये माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 'यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 18 फरवरी, 2015 को दिया हैं, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

ख1.11 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब आज कोई विषय नहीं है केवल नियम–51 है और इसी पर चर्चा थी, तो यह कार्य–मंत्रणा की कब बैठक है। अभी तुरन्त करेंगे। नेता विरोधी दल अब तो कोई काम है नहीं सूची में, तो बंद कर देते हैं।

आज दिनांक 03–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 49 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

पहली सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद–चित्रकूट में भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों को हुई क्षति का मुआवजा दिलाए जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय की एक वेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्रीमती मधुबाला की जनपद–भदोही के औराई चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चाथी सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद–अलीगढ़ की तहसील खैर की ग्राम घरबरा में गाटा संख्या 1/20 के अतिरिक्त में अवैध बालू खनन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद–फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा एवं अयाह शाह में मोरंग एवं बालू के अवैध खनन एवं ट्रकों की ओवरलोडिंग से हो रही क्षतिग्रस्त सड़कों के संबंध में है।

छठीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद–फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में दिनांक 26–2–2015 को हुई भयंकर ओलावृष्टि से किसानों की रबी की फसलों को हुई क्षति का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद–लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन अन्तर्गत ग्राम निघासन में असामाजिक तत्वों द्वारा जमीन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद–हाथरस की तहसील–सिकन्दराराऊ अन्तर्गत जी0टी0 रोड से इकबालपुर, माड़ी होते हुए ग्राम–जिरौली तक की सड़क की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

नवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद–आगरा में नौबस्ता चौराहे से सेन्ट जौन्स कालेज जाने वाले रास्ते के बीच बगैर लाइसेन्स के बकरे व मुर्गे काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद–कुशीनगर के चखनीताल ड्रेन में कतिपय ग्रामों की वर्ष 1960 में सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाए जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

क्र0सं0	नाम
1	श्री दलजीत सिंह
2	डा0 धर्मपाल सिंह
3	श्री पूरन प्रकाश
4	श्री भगवती सिंह
5	श्री सुदेश शर्मा
6	श्री विजय कुमार दुबे
7	श्री उमेश पाण्डेय
8	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
9	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
10	श्री रवीन्द्र जायसवाल
11	श्री पूर्णमासी देहाती
12	श्री संजय प्रताप जयसवाल
13	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
14	श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'
15	श्री सुरेश कुमार खन्ना
16	श्री मोहम्मद गाजी
17	श्री रवीन्द्र भडाना
18	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
19	श्री सलिल विश्नोई
20	श्री अमरपाल शर्मा
21	श्रीमती रजनी तिवारी

क्र0सं0	नाम
22	श्री अनिल कुमार
23	श्री गोरख पासवान
24	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
25	श्री ममतेश शाक्य
26	श्री बंशी सिंह पहाड़िया
27	श्री रामहेत भारती
28	श्री गयादीन अनुरागी
29	श्री इन्द्रजीत सरोज
30	श्री प्रदीप माथुर
31	श्री मदन चौहान
32	श्री अरुण कुमार
33	श्री विजय बहादुर यादव
34	श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत
35	श्री राजीव गुम्बर
36	श्री अगयश रामसरन वर्मा
37	श्री शमशेर बहादुर उर्फ 'शेरू भइया'
38	श्री कालीचरन सुमन
39	श्री राजबली जैसल

ख1.13 बजे, जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में जहरीले पानी से बढ़ रही हिपेटाइटिस सी से हो रही मृत्यु व अन्य बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

श्री संजय कपूर जी हैं ?

(श्री संजय कपूर जी का नाम पुकारे जाने पर, उनके अनुपस्थित रहने पर)

जनपद बहराइच, विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत घाघरा नदी पर बने पुल पर लगभग 30 वर्षों से वसूले जा रहे टोल–टैक्स के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बहराइच विकास खण्ड जरवल में.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्श्री संजय कपूर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24–2–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि जहरीले पानी के कारण बीमारी हेपेटाइटिस–सी के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। फैक्ट्री के मालिक व पोलूशन कन्ट्रोल बोर्ड के अधिकाारियों की मिली–भगत व नियमों की अनदेखी कर फैक्ट्रियों को गन्दा व जहरीला पानी नदियों नालों व नहरों में छोड़ा जा रहा है जिसे पीने से हेपेटाइटिस–सी की बीमारी जनता में बढ़ती जा रही है तथा कैंसर व अन्य बीमारियों की संख्या इस जहरीले पानी को पीने से बढ़ रही है तथा मृत्यु दर भी बढ़ रही है। प्रदेश के साथ–साथ पड़ोसी प्रदेश उत्तराखण्ड से भी जहरीला पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है जिससे उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक ग्राम में 40–50 लोगों को हेपेटाइटिस–सी की बीमारी होती जा रही है। जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के काफी ग्रामों में नलों में भी काला पानी आ रहा है जिसे पीने के कारण इंसानों के साथ–साथ जानवर मर रहे हैं इससे क्षेत्र की जनता में बहुत ही रोष व नाराजगी व्याप्त है। मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर वक्तव्य की मांग की गई है।

2–इस सम्बन्ध में मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के अन्तर्गत मे0 चड्ढा पेपर्स लि0 बिलासपुर, रामपुर एवं मे0 रुद्र बिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, बिलासपुर, रामपुर दो प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योग चिन्हित हैं। उक्त दोनों उद्योगों में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पूर्ण उत्प्रवाह संयंत्र स्थापित हैं। उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है। उद्योगों के उत्प्रवाह के कारण बीमारी फैलने की कोई सूचना बोर्ड में प्राप्त नहीं है।

3–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि फैक्ट्रियों के गन्दे व जहरीले पानी से हेपेटाइटिस–सी का फैलाव नहीं होता है। बिलासपुर तहसील दिवस में ग्राम ज्वालापुर भैसिया में हेपेटाइटिस–सी के प्रकोप के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायतों के आधार पर डा0 वी0के0 त्यागी, अपर मुख्य चिकित्सा

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारी/जिला प्रतिरक्षण अधिकारी की अध्यक्षता में टीम भेजी गई थी जिससे ब्लड के 15 सैम्पुल जांच हेतु लिये गये हैं, जो मेरठ मेडिकल कालेज को भेजे गये हैं। कैंसर व अन्य बीमारियों के फैलने की कोई सूचना नहीं है। यह भी अवगत कराया गया है कि बिलासपुर विकास खण्ड में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। वर्तमान में जल जनित बीमारियों की कोई सूचना नहीं है। भविष्य में यदि कोई सूचना आती है तो त्वरित कार्रवाई की जायेगी।

4–महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अवगत कराया गया है कि हेपेटाइटिस–सी बीमारी जहरीले पानी पीने से नहीं होती है, इसका मनुष्यों के उपयोग में लाये जाने वाले पेयजल से कोई सम्बन्ध नहीं है। हेपेटाइटिस सी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस–सी वायरस एचसीवी की वजह से होता है और यकृत (लीवर) को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण अक्सर स्पर्शोन्मुख होता है लेकिन एकबार होने पर दीर्घकालिक संक्रमण तेजी से यकृत के नुकसान और अधिक क्षतिग्रस्तता लीवर सिरोसिस की ओर बढ़ सकता है जो आमतौर पर कई वर्षों के बाद प्रकट होता है। कुछ मामलों में लीवर सिरोसिस से पीड़ित रोगियों में से कुछ को यकृत कैंसर हो सकता है या सिरोसिस की अन्य जटिलतायें विकसित हो सकती है। हेपेटाइटिस सी वायस रक्त से रक्त के सम्पर्क द्वारा फैलता है। शुरुआती संक्रमण के बाद अधिकांश लोगों में, यदि कोई हो, तो बहुत कम लक्षण होते हैं, हालांकि पीड़ितों में से 85 प्रतिशत के यकृत में वायरस रह जाता है। हेपेटाइटिस सी पूरी तरह से मानव रोग है। इसे किसी अन्य जानवर में प्राप्त नहीं किया जा सकता है न ही उन्हें दिया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी के लिये कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

यह भी अवगत कराया गया है कि जनसंख्या और नित्य नये तकनीकों के प्रयोग एवं फैक्ट्रियों से उपजे दबाव के कारण प्रदेश के नगरों, महानगरों एवं गांव से गुजरने वाली नदियों की पारिस्थितिकी प्रभावित होने के कारण नदियों का जल प्रदूषित होने की सम्भावना हो सकती है। नदियों के प्रदूषण के रोकथाम हेतु पर्यावरण विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानकों का निर्धारण किया जाता है तथा सम्बन्धित कार्यवाहियों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण पर्यावरण विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। प्रदूषण से हो रही बीमारियों के इलाज के लिये प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संयुक्त/जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज एवं संजय गांधी परास्नातक संस्थान स्थापित हैं। जिनमें प्रदूषण जनित बीमारियों के इलाज की उचित व्यवस्था है।

5–मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना को दृष्टिगत रखते हुए उल्लिखित क्षेत्र का सर्वे कराकर डिजीज प्रोफाइलिंग कराने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर को निर्गत कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों में चिकित्सकों का एक दल गठित कर हेल्थ कैम्प आयोजित कराने एवं प्रभावित ग्रामवासियों को उपचार तथा आवश्यक चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर को निर्गत कर दिये गये हैं।,

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्बहराइच–बाराबंकी–बांदा मार्ग पर घाघरा नदी पर (संजय सेतु) लगभग 30 साल टोल टैक्स की वसूली की जा रही है जबकि उ0प्र0 में बने सेतुओं पर टोल टैक्स की वसूली समाप्त कर दी गई है फिर भी इस पुल पर टोल टैक्स की वसूली करके इस पुल से आने–जाने वाले लोगों से धन उगाही की जा रही है। इस प्रकार की शिकायत कई बार विभागीय अधिकारियों से की गई परन्तु इसमें अधिकारियों की मिली–भगत होने के कारण आज तक न तो कोई सकारात्मक कार्यवाही की गई और न ही कोई जवाब दिया जा रहा है। इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनांक 19–11–2014 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया था। परन्तु अभी तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासनादेश के विपरीत वसूले जा रहे टोल टैक्स को समाप्त करने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

वक्तव्य

घाघरा नदी पर स्थित संजय सेतु बहराइच–बाराबंकी राजमार्ग के कि0मी0 35 में स्थित है जिसका निर्माण 1983 में पूर्ण हुआ एवं इस पर पथकर वसूली वर्ष 1983–84 से 2004–2005 तक लोक निर्माण विभाग, बहराइच के द्वारा की गई।

उक्त राजमार्ग के वर्ष 2005 में राष्ट्रीय मार्ग सं0 28 सी बाराबंकी–बहराइच–नानपारा– रुपईडीहा मार्ग के नाम से घोषित हो जाने के पश्चात् संजय सेतु पर पथकर वसूली वर्ष 2005 से दिसम्बर, 2012 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रण में की जाती रही। माह दिसम्बर, 2012 में उक्त सेतु राष्ट्रीय मार्ग खण्ड को हस्तगत हो जाने के कारण माह जनवरी, 2013 से संजय सेतु पर पथकर वसूली का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय मार्गों पर स्थित सेतुओं पर पथकर वसूली (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्सन एवं स्थाई पुल के उपयोग के लिये फीस लोक वित्त पोषित परियोजना) नियम–1997 के निमय–11 के प्राविधानों के अनुसार किया जा रहा था। पथकर वसूली हेतु भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25–04–2008 को भारत सरकार के राजपत्र सं0–2192 का0आ0 2743 (अ) दिनांक 22–10–2014 द्वारा रद्द कर दिया गया, जिसके अनुपालन में आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के पत्र दिनांक 24–11–2014 के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, लखनऊ के कार्यालय आदेश 2221/पथकर दिनांक 29–11–2014 के द्वारा दिनांक 30–11–2014 की मध्य रात्रि से सेतु को पथकर मुक्त करते हुए पथकर वसूली समाप्त की जा चुकी है। उक्त तिथि के बाद से सेतु पर किसी प्रकार की पथकर वसूली नहीं की जा रही है। दिनांक 19–11–2014 को दी गई नोटिस पर पत्र

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सं0–1673/23–12–14–नियम–15/14 दिनांक 08–01–2015 के द्वारा सूचना मा0 सदस्य को प्रेषित की जा चुकी है।,

जनपद शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद के ग्राम करनापुर के श्रवण कुमार पुत्र कल्लू की दिनांक 12 फरवरी, 2015 को हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, जनपद शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्के ग्राम करनापुर के श्रवण कुमार पुत्र कल्लू की दिनांक 12–02–15 को हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24–02–15 को नियम–51 की सूचना पर विधान सभा सचिवालय उ0प्र0 (पटल कार्यालय) के पत्र सं0–452/वि0स0/ प0का0/2014, दिनांक 24–02–15 द्वारा उक्त सूचना पर निर्धारित वक्तव्य के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से प्राप्त आख्यानुसार यह अवगत कराना है कि वादी श्री सुधीर पुत्र कल्लू निवासी ग्राम करनापुर, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर की सूचना पर दिनांक 17–02–15 को मु0अ0सं0–168/15 धारा 364ए बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचना श्री शक्ति सिंह, प्र0नि0 जलालाबाद द्वारा की गई। वादी को मो0नं0–7505408838 से रुपयों की मांग की गई। सर्विलांस की मदद से एवं सी0डी0आर0 की संनिरिक्षा पंकज पुत्र स्व0 सुरेश चन्द्र निवासी मो0 बाडूजई पेशावरी मोहनगंज प्रथम, थाना सदर बाजार का नाम प्रकाश में आया। इससे कड़ाई से पूछतांछ करने पर राहुल चतुर्वेदी पुत्र श्री ओम प्रकाश उर्फ नन्हें निवासी ग्राम करनापुर, थाना जलालाबाद, शाहजहांपुर का भी जुर्म में शरीक होना ज्ञात हुआ। दोनों ने पूछतांछ पर बताया कि उन्होंने श्रवण कुमार की हत्या दिनांक 12–02–15 को ही कर शहर क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे छोड़ दिया था। इसी आधार पर शहर क्षेत्र में मिली अज्ञात लाशों के बारे में जानकारी की गई।

ज्ञात हुआ कि दिनांक 14–02–15 को ढका तालाब के पास रेलवे लाइन के किनारे 14–15 फिट गहरी खाईं में थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसका पंचायतनामा व पी0एम0आर0 की कार्यवाही थाना सदर बाजार द्वारा की गई। मृतक के परिवारजनों द्वारा दिनांक 21–02–15 को मृतक के कपड़ों एवं फोटो के आधार पर उक्त मृतक व्यक्ति की पहचान श्रवण कुमार पुत्र कल्लू निवासी करनापुर, थाना

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जलालाबाद के रूप में की गई। जुर्म धारा 302/201 भा0दं0वि0 की वृद्धि की गई। दिनांक 23–02–15 को उपरोक्त दोनों अभियुक्त पंकज व राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्रो0 नं0 यू0पी0–27–एक्स–4122 तथा सिम डालकर फिरौती की मांग में प्रयुक्त मोबाइल नोकिया रंग काला माडल 114, जिसका आई0एम0ई0आई0 नं0–358951052027440, 358951052027754 बरामद हुआ। घटनाक्रम के अनुसार वादी की तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है।,

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी कुछ पूछेंगे ? ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकरण में पुलिस की तरफ से जो तहरीर लिखायी गयी उसके आधार पर मुकदमा कायम किया गया। जो मृतक के परिवार वालों ने तहरीर दी उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें जो संदिग्ध लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं। क्योंकि जो मुकदमा कायम हुआ है उसमें उनके परिवार वालों की जो तहरीर थी उसका संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने जो संदिग्ध लोग बताये थे उनसे पूछतांछ नहीं की गयी। इसीलिए मैंने यह विधान सभा में उठाया था कि जो दोषी हैं उनसे भी पूछतांछ करते, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें बहुत ही गहन जांच हुयी है और मृतक का मित्र ही इसे अपनी मोटर साइकिल पर लेकर गया था। दोनों ने शराब पी उसी में यह प्वाइजन दिया गया और जब यह मर गया तो मरने के बाद उसी मोटर साइकिल पर बैठाकर इसे खाई में फेंक दिया। मोबाइल ट्रेस हो गया। इसने समझदारी यह की कि मोबाइल मरने वाले का इस्तेमाल किया, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए और सिम अपना इस्तेमाल किया। यही दो लोग थे और जांच में कोई भी कमी नहीं रखी गयी है। इसके अलावा भी, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार हैं और आपके क्षेत्र का आपके जिले का मामला है मेरे पास पूरी रिपोर्ट है और इस फाइल को मैंने अलग से स्टडी भी किया है। बहुत से सवाल भी किये। बल्कि मैंने दो अधिकारियों से इस बात पर अपनी थोड़ी सी नाराजगी भी जाहिर की कि जब यह लाश मिली और इसका पोस्टमार्टम हुआ तो क्या पुलिस ने अपनी तरफ से सो मोटो एफ0आई0आर0 की या नहीं की। जो कि नहीं हुयी थी। ऐसे मामलों में जहां कोई लाश मिले या कोई संगीन अपराध हो तो पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने यहां एफ0आई0आर0 दर्ज करे। तो इस हद तक हमने इस केस को स्टडी किया है। अगर कहीं भी कोई लेकुना इसमें नजर आएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जो घरवालों ने तहरीर दी है उसकी भी जांच हो।

श्री मोहम्मद आजम खां–

उसकी भी जांच हुयी है। मान्यवर, कत्ल बहुत गंभीर अपराध है और धारा–302 की सजा भी बहुत है। हालांकि अब तो दूसरी और भी ऐसी धारायें हो गयी हैं जो 302 से अलग हैं। लेकिन उसमें भी सजायें बड़ी हैं। 302 में अगर कोई गुनहगार छूटता है तो यह बात भी गलत है और अगर कोई बेगुनाह अगर आता है तो वह बात भी अलग है। बहुत जांच करायी गयी है। इसके बावजूद भी अगर लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसे और दिखवा लेंगे। क्योंकि आप जिम्मेदार हैं और आपके यहां का मामला है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

घरवालों ने जो तहरीर दी है उसके ऊपर आप जांच करवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

उस पर जांच हुयी है। देखिये, तहरीर और जो फैक्ट्स आये हैं पुलिस की जांच में, वह दोनों बिलकुल विपरीत हैं। पुनः जांच की जरूरत होगी तो जरूर जांच करा लेंगे, लेकिन मैं आपको यह बात वकील के हैसियत से भी बतला दूं कि अगर अब वह फैक्ट्स एफ0आई0आर0 में आ चुके हैं, पुलिस की जांच में आ चुके हैं, अगर इनमें किसी तरह की तबदीली की जायेगी अगर इतनी मामूली तबदीली भी होगी कि खम्भे को यहां से यहां दिखा दिया जायेगी तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जायेगा और 302 जैसा गम्भीर मुकदमा खराब हो जायेगा तो अगर आप इसमें कोई अमूल–चूल परिवर्तन करा देंगे, वो एफ0आई0आर0 अलग, यह एफ0आई0आर0 अलग, वाकया एक अगर एक वाकये के दो एफ0आई0आर0 होंगे और दो अलग–अलग कण्डीशन्स हो जायेंगी, दोनों एविडेन्सेस अलग–अलग हो जायेंगे तो मुकदमा एक ही पेशी में खारिज हो जायेगा और उसको सजा नहीं मिलेगी जुर्म करने वाले को। यह पूरे परीक्षण के बाद, जांच के बाद, मेहनत के बाद असल कातिलों तक पहुंचा गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जो डेडबॉडी मिली, लावारिस लाश में उसका क्रियाकरम कर दिया गया। उसके बाद जब घर वालों ने आन्दोलन किया, मान्यवर उसके बाद यह मुकदमा दर्ज हुआ है। मान्यवर, मेरा सिर्फ यह कहना है कि घरवालों की जो तहरीर है, उसकी जांच करवा लें। केवल इतनी बात है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनको आप कर दें या दूसरी एफ0आई0आर0 कर दें। आई वाज आलसो ए सेशन लॉयर। ऐसा नहीं है कि हम उसके बारे में जानकारी नहीं रखते 09 वर्ष तक मैने प्रैक्टिस की है। शाहजहांपुर में मैं सेशन का वकील रहा हूं। ऐसा नहीं है और मैं खूब समझता हूं कि बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है और अगर एफ0आई0आर0 का वर्जन बदल जाये तो क्या होता है। मैं तो केवल जांच की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कहता हूं कि उसको आप फसां दे। केवल उसका परीक्षण करा लें।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

जांच किसलिए ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जांच इसलिए कि अगर वो लोग सन्दिग्ध पाये जायें, उनके परिवार वालों ने लिख कर दिया कि अगर उनकी कहीं पर से कराईवेन्स हो, उनकी कहीं पर से कान्सपिरेसी तो वह भी उसमें शामिल किये जायें।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, मैंने कहा आपसे कि सारी जांच हो चुकी है। सर्विलान्स का इसमें जयादा रोल है। सारी जांच हो चुकी है। अब अगर आप जांच को कन्फ्यूज करना चाहते हैं और अगर आप किसी पक्ष को, मैं तो हैरतज़दा हूं अगर आप कातिल पक्ष की मदद करना चाहते हैं। केस को कमजोर करना चाहते हैं तो बात दूसरी है। यह भी एक तरीका है, ज़ालिम की मदद करने का। यह भी एक तरीका है मुजरिम की मदद करने का कि हम जुर्म के कई जिम्मेदार ठहरा दें। जो कि सच्चाई में न हो। अगर आप उस तरह मदद करना चाहते हैं तो बात अलग है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह सही नहीं है, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जो उनके परिवार वालों ने तहरीर दी है, उसे संज्ञान में लेकर उस पर जांच करवा लें। उसमें इस बात का परीक्षण करवा लें कि वो लोग इन्वाल्व हैं या नहीं।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

खन्ना जी मैं आपसे कह रहा हूं कि यह सारी जांचें हो चुकी हैं। इसमें बहुत मेहनत की गयी है, असल लोगों को निकालने में। सर्विलान्स के, बातचीत के, टेलीफोन नम्बरों के किसने कब किस वक्त किया है। मोटरसाइकल इसमें बरामद हो गयी, सिम इसमें बरामद हो गया, मोबाइल इसमें बरामद हो गया तो केस में कन्फयूजन क्या है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह गलत हैं। मैनें कहां कहा ? मैंने कहा कि जो लोग पहले से शामिल थे, जो लोग पहले से क्राइम कर रहे थे उन्हें शामिल करने की बात कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, इससे कन्फूजन क्रियेट हो जायेगा और जो लोग जेल गये हैं वह भी बरी हो जायेंगे। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो बात दूसरी है।

उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन के संविदा कर्मियों की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा शक्ति भवन, लखनऊ के समक्ष किये गये धरना–प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किये गये उन्हें रिहा किये जाने तथा उनकी मांगों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष–

यह तो बड़ा लम्बा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्दी गई सूचना दिनांक 24–02–2015 निम्नवत् है :–

विद्युत जीने की आवश्यक वस्तुओं में से है। विद्युत उत्पादन पारेषण अनुश्रवण में विद्युत कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में पारेषण, अनुरक्षण में संलग्न मजदूरों के लगभग 18 हजार पद रिक्त हैं। रिक्त स्थान पर संविदा पर मजदूरों को ठेकेदारी व्यवस्था पर रखा गया है। इनको न्यूनतम मजदूरी भी ठेकेदारों द्वारा पूरी तथा समय पर नहीं दी जाती। कई बार ज्ञापन देने के बाद मांगें पूरी न होने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने के बाद 10 फरवरी, 2015 को संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में शक्ति भवन पर धरना और सभा का आयोजन था, उसमें पावर कारपोरेशन द्वारा संविदा कर्मियों को सीधे न्यूनतम वेतन देने, रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने, सन् 2000 के बाद डेड किये गये पदों को पुनर्जीवित करने, पी0पी0एफ0 को समाप्त करके जी0पी0एफ0 लागू कराने, पदोन्नति पदों पर काम कर रहे कर्मियों को समयमान वेतन देने आदि के सम्बन्ध में भाषण हो रहे थे कि उसी समय पुलिस द्वारा एकाएक लाठी, गोली, वाटर कैनन से हमला कर दिया गया, जिसमें काफी लोग बुरी तरह घायल हो गये। पुलिस की इस बर्बर कार्यवाही से उग्र भीड़ ने भागते हुए अपने को बचाने हेतु ईंट–पत्थर चलाये जिससे अफरा तफरी मच गई। श्री गिरीश पाण्डे, महामंत्री विद्युत मजदूर पंचायत सहित लगभग 154 लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया है। इलाहाबाद के उमाशंकर यादव, राजेश केसरवानी, घनश्याम आदि भी घायल होकर जेल में पड़े हैं। हजारों अज्ञात लोगों के नाम प्राथमिकी दर्ज करके पूरे प्रदेश के विद्युत कर्मियों को फर्जी फंसाये जाने के नाम पर पुलिस द्वारा वसूली की जा रही है। इससे भारी आक्रोश उत्पन्न है। फिर भी धरना–प्रदर्शन शुरू हो गया है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि–

(1) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत विभिन्न कर्मचारी संघों/श्रम संगठनों के द्वारा समय–समय पर दिये गये मांग–पत्रों पर, प्रबन्धन द्वारा बिना किसी विलम्ब के द्विपक्षीय वार्ता कर, उनके समाधान किये जाने का प्रयास किया जाता रहा है। दिनांक 30–09–2014 व 12–01–2015 को जूनियर इंजीनियर्स संगठन, दिनांक 07–11–2014 को उ0प्र0 बिजली कर्मचारी संघ, दिनांक 10–12–2014 को विद्युत मजदूर संगठन एवं दिनांक 12–01–2015 को अभियंता संघ के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों के सम्बन्ध में सार्थक वार्ता की गई और उनकी समस्याओं का यथासम्भव समाधान किया गया।

(2) पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के उपरान्त दिनांक 14–01–2000 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को सी0पी0एफ0 की सुविधा अनुमन्य है, उन्हें जी0पी0एफ0/ पेंशन देने की मांग समुचित विचारोपरान्त पहले ही अस्वीकृत हो चुकी है।

(3) वाह्य सेवा प्रदाता (ठेकेदारों/संविदाकारों) के माध्यम से उपकेन्द्रों तथा लाइनों के अनुरक्षण हेतु नियोजित श्रमिकों को चेक से मजदूरी भुगतान, दुर्घटना बीमा कराने, ई0पी0एफ0 की कटौती करने तथा सभी श्रम कानूनों का पालन करने के निर्देश उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा दिये गये हैं।

(4) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सहयोगी विद्युत वितरण कम्पनियों तथा पारेषण निगम में जन उपयोगी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में विद्युत सेवा आयोग द्वारा अभी हाल ही में टी0जी0–2 के 2211 पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया सम्पन्न की गई है।

(5) विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संघों/श्रम संगठनों द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को पूरा किये जाने हेतु आन्दोलन की नोटिस पत्र दिनांक 27–11–2014 के माध्यम से दी गई। औद्योगिक शान्ति बनाये रखने हेतु संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के शासन प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के स्तर पर सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए दिनांक 20–01–2015 को वार्ता कर उनके द्वारा धरना आदि समाप्त करने की अपील की गई।

(6) विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के घटक दलों द्वारा अपने साथ लाये गये लगभग 1500 संविदा कर्मचारियों के साथ दिनांक 10–02–2015 को शक्ति भवन परिसर के समक्ष प्रातः 9.30 बजे से बिना किसी पूर्व सूचना के धरना/प्रदर्शन व उग्र भाषण देना प्रारम्भ कर दिया गया, जबकि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुरूप इन्हें विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन करना था।

(7) उक्त भीड़ के कारण शक्ति भवन के समक्ष सड़क पर जाम लग गया। पुलिस द्वारा जब इसे हटाने का प्रयास किया गया तो इनमें से कुछ नेताओं एवं अराजक तत्वों द्वारा माइक पर पुलिस को मारने व शक्ति भवन में तोड़फोड़ कर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति बाधित किये जाने हेतु उकसाया गया। इसी उकसावे की कार्यवाही के बाद ही वहां एकत्रित समूह बेकाबू हो गया और उनके द्वारा पहले पुलिस की जीप को जलाया गया, फिर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया व आते–जाते लोगों पर पथराव कर उन्हें चोटिल किया गया। साथ ही साथ शक्ति भवन परिसर में खड़ी गाड़ियों व लाबी में लगे शीशे को ईंट व पत्थरों से मारकर तोड़ा गया तथा शक्ति

भवन के गेट के सामने लगे पी0एन0टी0 के डी0बी0 में आग लगाकर शक्ति भवन की संचार व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया गया। इस सबके बावजूद भी वह शान्त नहीं हुए और उनके द्वारा शक्ति भवन स्थित एस0एल0डी0सी0 कक्ष पर पथराव करना शुरू किया गया ताकि पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बाधित हो जाये।

(8) पुलिस द्वारा यदि समय से कार्यवाही न की गई होती तो शक्ति भवन से संचालित प्रदेश की विद्युत व्यवस्था के साथ ही साथ नार्थ ग्रिड भी फेल होने की प्रबल सम्भावना थी एवं कार्यरत कार्मिकों को शक्ति भवन में नुकसान की प्रबल सम्भावना थी।

(9) घटना के सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन प्रबन्धन की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ख्भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–147, 149, 332, 114, 117, 336, 427 सार्वजनकि सम्पत्ति नुकशान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा–3 एवं 4 तथा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा–7 के, हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई है।,

श्री अनुग्रह नरायण सिंह–

मान्यवर, 10 फरवरी, 2015 को विभिन्न विद्युत मजदूर संगठनों की संघर्ष समिति है उसने अपनी मांगों को लेकर शक्ति भवन पर धरना दिया और धरना देने के दौरान ही जब मीटिंग चल रही थी एकाएक कुछ ऐसी घटना हुई और उसमें पुलिस ने लाठी–गोली चलाई, काफी मजदूर घायल हुए, 154 लोग उनके नेता गिरीश पाण्डेय के सहित और सभी लोग गिरफ्तार किये गये और हजारों लोगों के खिलाफ बेनामी एफ0आई0आर0 लिखी गयी, अब लखनऊ की पुलिस विभिन्न जिलों में जाकर, इलाहाबाद में जा करके जिस भी मजदूर नेता को चाहती है, पकड़ लेती है, कुछ दलाल भी लग गये हैं, तुम्हारा भी नाम है, तुमको भी बन्द किया जायेगा, इस तरह का एक और हड़कम्प मचा हुआ है, उनकी मांगें तो पूरी हुईं नहीं अभी, लगभग 17 हजार मजदूर बिजली कुली मजदूर, यह जो बिजली बनाते हैं, लाइन मैन वगैरह, उसमें भर्ती नहीं हो रही है, जो ठेकेदार के मजदूर हैं, वह शोषण करते हैं उपभोक्ता का भी और विभाग का भी। उनकी मांगों पर तो खैर सरकार विचार करेगी, समाजवादी पार्टी तो आन्दोलनों से निकली हुई पार्टी है और विशेषकर मेहनतकस मजदूरों की बात करती है, तो आज जो लोग बन्द हैं, हमने कहा था कि उनको रिहा कर दिया जाय और आपकी पार्टी की हमेशा मांग रहती थी कि गिरफ्तार लोग रिहा कर दिये जाएं और दूसरा जो बेनामी लोगों के नाम पर पुलिस परेशान कर रही है, मा0 मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी इस पर कहें कि उनका उत्पीड़न रोका जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मा0 विधायक खुद भी मजदूर आन्दोलनों से जुड़े हुए हैं और पूरी राजनीति और पूरा जीवन उनका इसी तरह के संघर्ष का है, लेकिन यह भी आप अच्छी

तरह जानते हैं कि मजदूर आन्दोलनों का रुख गलत हो गया पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया से मजदूर आन्दोलन लगभग खत्म हो गये, बहुत कमजोर हुआ और यह बड़े दुःख की बात है कि पहली मई, जो बहुत ही ऐतिहासिक दिन हुआ करता था मजदूरों के वास्ते से लेकर पूरी दुनिया में, खुद हम हिन्दुस्तान में भी उसे बड़ी शान से मनाया करते थे, मजदूरों के अधिकारों के लिए, लेकिन अधिकारों को मांगने का तरीका इतना गलत हुआ, फिर ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई कि मजदूर का रोल बहुत कम हो गया और यह कोशिश भी की गई कि मजदूरों का रोल कम से कम हो जाय, मजदूर आन्दोलन को उससे बड़ा नुकसान हुआ है। मान्यवर, इसे देख लेंगे, जो भी मदद सम्भव हो सकती है, वह की जायेगी।

जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय कालोनियों में पक्के नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

यह मद स्थगित है।

विधान सभा क्षेत्र आगरा के अन्तर्गत प्राइवेट कम्पनी टोरेन्ट पावर द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री गुटियारी लाल दुबेश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह अवगत कराया गया है .....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख कि विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट, आगरा शहर के अन्तर्गत प्राइवेट कम्पनी मेसर्स टोरेन्ट पावर लि0 द्वारा उपभोक्ताओं का जमकर उत्पीड़न किया जा रहा है। टोरेन्ट पावर कम्पनी ने अपने निजी प्राइवेट मीटर लगाये हैं जिस गरीब व्यक्ति का बिजली के बिल का भुगतान 500 रु0 आता था। उसका 1500 रु0 बिजली का बिल भुगतान आ रहा है तथा प्राइवेट गुण्डों के द्वारा घरों में जाकर महिलाओं के साथ अभद्रतायें करना एवं वीडियो क्लिप बनाना बिजली का भुगतान करने के बावजूद भी एक से दो लाख रु0 का विद्युत असिसमेन्ट बना दिया जाना है फिर उसको 20 से 30 प्रतिशत पैसे लेकर उसका

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निपटारा कर दिया जाता है और उपभोक्ताओं पर फर्जी मुकदमा करा दिया जाता है ऐसी अनेकों घटनायें टोरेन्ट पावर कम्पनी द्वारा की जा रही हैं एवं आगरा शहर की अनेक सड़कों को बिना अनुमति के टोरेन्ट पावर के अधिकारियों द्वारा खोदा गया है जिससे शहर की आवागमन की अनेक समस्या पैदा हो गयी है। आगरा शहर के अनेकों संगठनों द्वारा आये दिन धरना–प्रदर्शन किया जा रहा है। आगरा शहर के उपभोक्ता भारी संख्या में संगीन धाराओं के तहत जेल जा चुके हैं जिससे क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है, आगरा शहर की स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

मा0 सदस्य के उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवग कराना है कि जनपद आगरा में मेसर्स टोरेन्ट पावर का उद्देश्य उपभोक्ताओं को परेशान या शोषण करना नहीं रहा है। टोरेन्ट पावर उ0 प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2005 उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग एवं विद्युत अधिनियम, 2003 में वर्णित दिशा–निर्देशानुसार कार्य करता है।

टोरेन्ट पावर द्वारा उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आर्डर एवं विद्युत मीटर में दर्शायी गई मासिक रीडिंग और विद्युत भार के आधार पर ही उपभोक्ताओं का मासिक विद्युत बिल तैयार किया जाता है।

टोरेन्ट पावर द्वारा उपभोक्ताओं के मासिक विद्युत बिल का समय पर विश्लेषण करके एवं जो उपभोक्ता अवैध रूप से विद्युत का उपयोग कर रहे हैं उनके परिसर का निरीक्षण उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2005 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। यदि उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत का अवैध प्रयोग पाया जाता है तो टीम द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–126/135 विद्युत चोरी/दुरुपयोग का मामला दर्ज किया जाता है। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत मामले का राजस्व आंकलन किया जाता है। इस क्रम में यदि उपभोक्ता का विद्युत चोरी के मामले में या राजस्व आंकलन राशि के प्रति कोई आपत्ति है तो टोरेन्ट पावर उन्हें सुनने एवं अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। न्यायसंगत पाये जाने का आंकलन राशि में उपयुक्त संशोधन भी किया जाता है।

टोरेन्ट पावर द्वारा आगरा शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भूमिगत केबिलों के माध्यम से करने के लिये भूमिगत केबिल डालने का कार्य किया जा रहा है। जिससे शहरवासियों को ओवर हेड नेटवर्क के सापेक्ष एवं उच्च कोटि की विश्वसनीय एवं सुरक्षित विद्युत आपूर्ति दी जा सके। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि विद्युत केबिलों को भूमिगत करने का कार्य निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है एवं भूमि केबलिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सड़कों की पुनः स्थापना कार्य के दौरान यह भी उल्लिखित किया जाता है कि आस–पास के क्षेत्रवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, अण्डरग्राउण्डिंग कार्य के पश्चात् सड़कों की पुनः स्थापना कार्य निर्धारित समय के भीतर करना सुनिश्चित किया जाता है। सड़कों की पुनः

स्थापना का कार्य आगरा नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुपालन में ही किया जाता है।,

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा के ग्राम मड़ेवरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन व उनकी आदमकद प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24–02–2015 को....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख निम्न सूचना दी गयी है :–

''जनपद इलाहाबाद में विधान सभा क्षेत्र मेजा के विकास खण्ड, मेजा, ग्राम भड़ेवरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन व उनकी आदमकद प्रतिमा के निर्माण हेतु जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2013 में जमीन उपलब्ध करा दी गयी है। परन्तु आज तक विभाग के द्वारा मानकीकरण नहीं हो पाया है।

क्या सरकार मानकीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक'' ?

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 25–09–2012 द्वारा जनपद इलाहाबाद के तहसील मेजा में स्व0 बाबू मंगला प्रसाद, स्व0 सरजू प्रसाद पाण्डेय व स्व0 महाबीर शुक्ल की आदमकद प्रतिमा लगाने की अपेक्षा की गयी थी। मा0 सदस्य के पत्र के क्रम में जिलाधिकारी, इलाहाबाद से आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 06–06–2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिस भूमि पर प्रतिमा स्थापित होनी है, उस पर निवासिनी ग्राम भड़ेवरा, जयदेवी द्वारा स्वत्व के सम्बन्ध में वाद दाखिल किया गया है, जो सुनवाई में है। भूमि विवादित होने के कारण प्रस्तावित भूमि पर प्रतिमा लगाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। तद्नुसार वस्तुस्थिति से पत्र दिनांक 28–11–2013 द्वारा मा0 सदस्य को भी अवगत कराया गया। इसके पश्चात् जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 12–06–2014 द्वारा पुनः अवगत कराया गया कि

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

साक्ष्य के अभाव में जयदेवी द्वारा दायर किया गया वाद निरस्त हो गया है और प्रस्तावित आराजी भारमुक्त कर दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में शहीद स्मारकों/स्तम्भों का निर्माण एवं मूर्तियों की स्थापना हेतु पूरे प्रदेश में एक समान मानक निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में मानक निर्धारण का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया था। वित्त विभाग द्वारा स्मारकों/स्तम्भों के निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है, किन्तु मूर्ति की स्थापना के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा अभी सहमति नहीं प्रदान की गयी है। अतः अभी तक मानक निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।,

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में विद्युत विभाग द्वारा ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख प्रश्नगत सूचना निम्नवत् है :–

कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन, जनपद शामली के कस्बा थानाभवन को लगभग तीन वर्ष पूर्व विद्युत विभाग के ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में शामिल किया गया था। महोदय कस्बे के तारों की जर्जर स्थिति है। बहुत सारे क्षेत्र लो–वोल्टेज की समस्या से ग्रसित हैं। तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कई बार दुर्घटना घटित हो चुकी है आये दिन आन्दोलन–प्रदर्शन होते रहते हैं। कई बार विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद शामली के कस्बा थानाभवन में ए0पी0डी0आर0पी0 योजना का कार्य प्रगति पर है जिसके अन्तर्गत नये वितरण परिवर्तक लगाने, क्षमता वृद्धि करने, नई 11 के0वी0 लाइन बनाने/खराब लाइन को बदलने का

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य किया जा रहा है। उक्त योजना का लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य अगले छः माह में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

लो–वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिये थानाभवन 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र पर कैपेसिटर बैंक स्थापित किया जा रहा है जोकि माह मार्च, 2015 तक चालू हो जाना लक्षित है एवं इसके चालू होने पर लो–वोल्टेज की समस्या दूर हो जायेगी। कस्बा थानाभवन में विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार हेतु वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना में कस्बे के लिये अलग एक नया 33 के0वी0 उपकेन्द्र स्वीकृत हो चुका है।

एल0टी0 लाइन के तार बदलने का कार्य सतत् प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत जर्जर विद्युत तारों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार बदला जा रहा है एवं पूर्व में मौ0 चौक बाजार में लगभग 1 किलो मीटर तार बदला गया था। विगत एक वर्ष में थाना भवन कस्बे में कोई विद्युत दुर्घटना नहीं हुई है और न ही कोई धरना–प्रदर्शन हुआ है। कस्बे में शेड्यूल के अनुसार औसत 10 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है।,

जनपद इलाहाबाद में धर्मवीर मार्ग सुलेम सराय इलाहाबाद से अवैध निर्माण हटाये जाने एवं मार्ग चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री सत्यवीर 'मुन्ना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, श्री सत्यवीर मुन्ना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख दिनांक 24–02–2015 को यह सूचना दी गयी है ''जनपद इलाहाबाद के घनी आबादी वाले मोहल्लों रम्मन का पुरा, उमरपुर नीवा, भोला का पूरा, सैनिक कालोनी, अबूबकपुर, प्रीतमनगर, नीवा गांव के कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण एवं अवैध निर्माण को हटाये जाने की नितान्त आवश्यकता है। उक्त के कारण रोजाना वहां के निवासियों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे वहां के निवासियों में रोष व्याप्त है।'' लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चर्चा कराये जाने की मांग मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी है।

2–मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नगर निगम के

नोट :–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतिक्रमण विभाग द्वारा रोड पटरी, नाला एवं नाली पर हुए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए प्रति माह अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। अवैध पक्के निर्माण के ध्वस्तीकरण एवं मार्गों के चौड़ीकरण की कार्यवाही इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद के क्षेत्राधिकार में है।,

जनपद लखीमपुर खीरी के नगर क्षेत्र लखीमपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में श्री बाला प्रसाद अवस्थी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में उल्लिखित है कि जिला लखीमपुर खीरी के नगर क्षेत्र लखीमपुर में....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने के कारण उक्त विद्यालयों में शिक्षारत् छात्र–छात्राओं की शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक प्रभावित हो रही है। प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के अभिभावकों में अपने बच्चों की शिक्षा एवं उज्जवल भविष्य को लेकर अत्यधिक चिन्ता व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया है, परन्तु अभी तक शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नगर क्षेत्र लखीमपुर में संचालित कुल 22 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 152 पद पूर्व से स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में कुल 30 शिक्षक/शिक्षा मित्र (16 शिक्षक व 14 शिक्षा मित्र) कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में उल्लिखित मानकों के अनुसार नगर क्षेत्र लखीमपुर में कुल 77 शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में कुल 30 शिक्षक/ शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में नगर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के स्थानान्तरण पर एवं नगर क्षेत्र में अध्यापकों की नवीन नियुक्ति पर वर्तमान में प्रतिबन्ध होने के कारण नगर क्षेत्र लखीमपुर में 47 शिक्षकों की कमी है। नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु निकट भविष्य में कार्य योजना तैयार कराई जायेगी।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 26 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 03 मार्च, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 44 विधान सभा (73)–16–06–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।